

**जय प्रकाश नारायण
(सुरहाताल), पक्षी विहार,
जनपद - बलिया
की**

प्रबन्ध योजना

वर्ष 2020—21 से 2029—30

भाग—1 एवं भाग—2

सुनील चौधरी,

भा०व०से०

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश, कानपुर

के

निर्देशन में

द्वारा

दिनेश सिंह,

प्रा०व०से०

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी द्वारा संकलित।

प्रस्तावना

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार, जनपद-बलिया के अनतर्गत बाँसडीह तहसील से दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके चारों ओर पड़ने वाले गाँव — बसन्तपुर, सूरजपुर, मैरिटार, शिवपुर, राजपुर, नारायणपुर, फुलवरिया, कैथवली तथा भीखपुर प्रमुख हैं। क्षेत्र के पूर्ण बन्दोबस्ती कार्यवाही के अभाव में सीमायें पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं। जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार, जनपद-बलिया की दस वर्षीय योजना प्रबन्ध योजना वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक बनायी गयी थी, जिसे श्री बी०के० पटनायक, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्री वी०के० सिंह, मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर के निर्देशन में श्री पी०पी० वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा संकलित किया गया था, जिसके आधार पर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार, जनपद-बलिया का वैज्ञानिक प्रबन्ध किया जाने लगा। प्रस्तुत प्रबन्ध योजना वर्ष 2020-2021 से 2029-2030 तक के लिए है।

प्रस्तावित प्रबन्ध योजना पक्षी विहार की जैव विविधता संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बनायी गयी है। इसमें पूर्व में लागू योजनाओं के कार्यवृत्तों को यथावत रखा गया है। प्रबन्ध योजना में जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ इको टूरिज्म जोन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है, जिससे स्थानीय गरीब परिवारों को रोजगार मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा होगी।

इस प्रबन्ध योजना के निरूपण में श्री पी०के० शर्मा, (भा०व०से०), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ, श्री सुनील चौधरी, (भा०व०से०), मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र कानपुर एवं श्री नीरज कुमार, (भा०व०से०), वन संरक्षक, इको विकास, उ०प्र० लखनऊ का विशेष निर्देशन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका मैं हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ।

मैं श्री धर्मेन्द्र नाथ सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकिया तथा श्री ब्रजेश पाण्डेय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, चन्द्रप्रभा रेंज एवं श्री अखिलेश पाण्डेय, वरिष्ठ सहायक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस प्रबन्ध योजना को इस रूप में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(दिनेश सिंह)

प्रा०व०से०,

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

खण्ड प्रथम

भाग-1

खण्ड द्वितीय

प्रस्तावित प्रबन्धन

(Proposed Management)

खण्ड तृतीय

परिशिष्ट

विषय—सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
खण्ड—प्रथम		
अध्याय—1		
संरक्षित क्षेत्र का परिचय, नाम, स्थिति, गठन एवं विस्तार		
1.1	इतिहास, नाम, विज्ञप्ति, गठन व विस्तार संक्षिप्त	1—2
1.2	सम्पर्क एवं पहुँच मार्ग	2
1.3	विशिष्टताएँ	2—3
अध्याय—2		
संरक्षित क्षेत्र का विवरण		
2.1	सीमायें	4—5
2.2	भू—विज्ञान, शैल एवं मृदा	5
2.3	भू—तल संरचना (टेरेन) तथा जल विज्ञान (हाइड्रोलोजी)	5
2.4	जलवायु	5—6
2.5	जल संसाधनों की प्रकृति व वितरण	6—7
2.6	वन्य जीवों की विविधता, स्तर, वितरण एवं प्राकृतवास	7—10
अध्याय—3		
प्रबन्ध का इतिहास एवं वर्तमान कार्य प्रणाली		
3.1	संरक्षण इतिहास	11
3.2	प्राकृतिकवास प्रबन्धन	12
3.3	सुरक्षा तथा सूचना तन्त्र	12
3.4	पर्यटन तथा व्याख्यापरक गतिविविधियाँ (इण्टरप्रिटेशन)	12
3.5	शोध एवं अनुश्रवण	13

3.6	ग्रामों का विस्थापन	13
3.7	प्रशासन एवं संगठन	13—14
3.8	पट्टे (लीजें) इत्यादि	14
3.9	वन अग्नि	14
3.10	जीवाणु तथा रोगाणुओं के संक्रमण की समस्या	14
3.11	वन्य जीवन संरक्षण, रणनीति तथा मूल्यांकन	14—15
3.12	संचार	15
3.13	अन्तर्विभागीय अथवा अन्य संस्थाओं के मध्य (इण्टरएजेन्सी) कार्यक्रम तथा समस्यायें	15—16
3.14	वन्य जीवन के प्रति चुनौतियाँ	16
अध्याय—4		
संरक्षित क्षेत्र तथा सन्धि स्थल भू-उपयोग की स्थिति		
4.1	प्रभावकारी क्षेत्र का विस्तार	17
4.2	भू-उपयोग वर्गीकरण	17
4.3	गाँवों का सामाजिक स्तर	17—18
4.4	गाँवों की संसाधन निर्भरता	18
4.5	भू-दृश्य के उत्पादन क्षेत्र	19
4.6	मानव वन्य जीव द्वन्द्व	19
4.6	समरेखीय संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन	19
4.7	संरक्षित क्षेत्र तथा प्रभावकारी जोन के प्रबन्धन को प्रभावित करने वाली जनसमस्याओं का संक्षिप्त विवरण	19—20
खण्ड—द्वितीय		
अध्याय—5 दृष्टि, उद्देश्य तथा समस्यायें		
5.1	दृष्टि	21
5.2	प्रबन्ध के उद्देश्य	21—22
5.3	उद्देश्य एवं प्राप्ति में समस्यायें	22—23

अध्याय—6		
रणनीतियाँ		
6.1	सीमायें	24—25
6.2	क्षेत्रगत विभक्तता	25
6.3	क्षेत्र योजना	25—30
6.4	उद्देश्यपरक योजनायें	30—35
अध्याय—7		
इकोटूरिज्म (पारिस्थितिकीय पर्यटन) प्रचार तथा पर्यावरण संरक्षण शिक्षा		
7.1	परिचय	36
7.2	उद्देश्य	36—37
7.3	पर्यटन क्षेत्र	37
7.4	वन्य जीव विहार सम्बन्धी प्रचार कार्यक्रम	37—38
7.5	संगठन, ढाँचा तथा प्रबन्धन	38—39
7.6	समस्यायें	39—40
7.7	वांछित पर्यटन हेतु रणनीति	40—42
7.8	नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	42—43
अध्याय—8		
पारिस्थितिकीय विकास		
8.1	परिचय	44
8.2	विशिष्ट मुद्दे तथा स्नॉट विश्लेषण	44—45
8.3	नीति एवं संस्थागत ढाँचा	45—46
8.4	मुख्य रणनीति	46—47
8.5	सूक्ष्म योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका हेतु ग्राम स्तर पर स्थल विशिष्ट रणनीतियाँ	47—50
8.6	ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का एकीकरण	50

8.7	क्रियान्वयन रणनीतियाँ	50—52
8.8	धनराशि की व्यवस्था	52—53
8.9	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	54
अध्याय—9		
शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन		
9.1	महत्व	55
9.2	उद्देश्य	56
9.3	शोध प्राथमिकतायें	56—58
9.4	अनुश्रवण	58—59
9.5	प्रशिक्षण	59
अध्याय—10		
संगठन एवं प्रशासन		
10.1	सांगठनिक ढाँचा व उत्तरदायित्व	60
10.2	कर्मचारी / स्टाफ सुविधायें	61—62
अध्याय—11		
बजट		
11.1	प्लान बजट	63
11.2	विशिष्ट मुद्दे तथा स्वीट विश्लेषण	63—67
अध्याय—12		
विभिन्न कार्या का सावधिक लेखा—जोखा		
12.1	शिड्यूल	68
12.2	विचलन एवं लक्ष्य प्राप्ति का अभिलेख	68
12.3	रोजगार सृजन की क्षमता अभिलेख	68
12.4	नियन्त्रण फार्म	69
12.5	कक्ष इतिहास का रख-रखाव	69

खण्ड तृतीय		
परिशिष्ट तथा मानचित्र		
परिशिष्ट-1	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार क्षेत्र की सीमायें	70—74
परिशिष्ट-2	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा	75—79
परिशिष्ट-2 अ	राजस्व विभाग द्वारा नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना	80
परिशिष्ट-3	तापमान के आँकड़े	81
परिशिष्ट-4	वर्षा के आँकड़ें	82
परिशिष्ट-5	मानव जातीय वानस्पतिक औषधीय प्रजातियाँ	83—84
परिशिष्ट-6	भवनों की सूची	85
परिशिष्ट-7	ईकोटूरिज्म गाईड	86—97
परिशिष्ट-8	उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए इकोडेवलपमेण्ट का कार्यक्रम लागू किया जाना	98
परिशिष्ट-9	उप अरण्यपालों तथा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव प्रतिपालकों को उक्त एक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध परिवाद	99
परिशिष्ट-10	उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग	100
परिशिष्ट-11	दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53,1972) की धारा 50 के साथ पठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग	101
परिशिष्ट-12	उप पुलिस अधीक्षकों, तीनों सहायक निरीक्षकों जो कि तीन पुलिस थाना और पुलिस चौकी में तैनात हों और उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी अधिकारिता में उक्त एक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध शिकायत दाखिल करने का प्राधिकार	102

परिशिष्ट—13	क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वनाधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों की उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरो, उप रेंजरो और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता	103
परिशिष्ट—14	राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार उभयचरो की सूची	104
परिशिष्ट—15	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया के ग्रामवार आर्थिक-शैक्षणिक आंकड़े	105—106
परिशिष्ट—16	उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र	107—108
परिशिष्ट—17	उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय विकास हेतु शासकीय संकल्प की रूप-रेखा	109—111
परिशिष्ट—18	प्रबन्ध योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	112
परिशिष्ट—19	वन्य जीव विहार क्षेत्र का मानचित्र	113



अध्याय-1

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया

प्रथम खण्ड

क्षेत्र परिचय –

1.1 (अ) जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, जनपद-बलिया (उ०प्र०)

(ब) स्थिति –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद बलिया के अन्तर्गत बाँसडीह तहसील से दक्षिण, बलिया से उत्तर कैथवली से पूरब तथा बाँसडीह रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके चारों ओर पड़ने वाले गाँवों में बसन्तपुर, सूरजपुर, मैरीटार, शिवपुर, राजपुर, नारायणपुर, फुलवरिया कैथवली तथा भीखमपुर, प्रमुख है। क्षेत्र के पूर्ण बन्दोबस्ती कार्यवाही के अभाव में सीमायें पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं।

(स) स्थापना तथा विस्तार – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद बलिया काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी में समाविष्ट है, जो वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र उत्तरी अक्षांश $26^{\circ}40'$ से $26^{\circ}42'$ तथा पूर्वी देशान्तर- $84^{\circ}11'$ से $84^{\circ}14'$ के बीच है। कुल क्षेत्रफल 3432.93 हेक्टेयर है। शासनादेश संख्या-1088 / 1 / 14 / 3-19 / 89, दिनांक : 27 मार्च 1991 के द्वारा इस क्षेत्र को सुरहाताल पक्षी विहार घोषित किया गया तथा शासनादेश संख्या-2854 / 14-4-2002-874 / 2002, लखनऊ, दिनांक : 10 दिसम्बर 2002 के अनुसार इसका नाम परिवर्तित कर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। पत्र संख्या-10 / काशी प्र० / 15-1-व०स०, दिनांक : 18.12.2006 जिलाधिकारी, बलिया द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा कर दावेदारों की आपत्तियों को आमंत्रित किया

गया है। यह पक्षी विहार दक्षिण-पश्चिम में ग्राम भीकमपुर उत्तर-पूर्व ग्राम सिधौली तथा पूर्व दक्षिण में ढुलवारा के बीच है।

1.2 सम्पर्क एवं पहुँच मार्ग – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद वाराणसी से सड़क मार्ग द्वारा 160 कि०मी० दूरी पर स्थित हैं एवं बलिया शहर रेलवे स्टेशन से 13 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। सुरहाताल से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन बांसडीह रोड पड़ता है। यह रेलवे स्टेशन बलिया-छपरा ब्राड गेज लाइन पर पड़ता है। छोटा रेलवे स्टेशन होने के कारण कोई होटल नहीं है। बलिया शहर में ही अच्छे होटल एवं खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था हैं। वाराणसी से वाराणसी-बलिया राज्य मार्ग द्वारा चलकर बलिया तथा बलिया से बांसडीह रोड पर 14 कि०मी० चलकर मैरीटार होते हुए सुरहाताल पहुँचा जा सकता है।

1.3 विशिष्टताएँ (क्षेत्र का महत्व) – यह ताल बलिया जनपद में जनपद मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 10 कि०मी० दूरी पर प्रारम्भ हो जाता है। लगभग 3432.93 हे० (34.329 वर्ग कि०मी० में) फैला हुआ यह ताल जनपद की बलिया एवं बांसडीह तहसील के एक काफी हिस्से को अपने आप में समेटे हुआ है। जनहित एवं लोक मान्यता के आधार पर भृगु आश्रम पर तुरथनाथ के राजा का राज्य था, जिनकी राजधानी इस ताल के किनारे पर बसे गाँव राजपुर में थी। राजा तुरथनाथ कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, वे एक बार इसी क्षेत्र से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्होंने सुरहाताल क्षेत्र में एक गड्ढे के पानी से अपना हाथ साफ किया तथा राजा ने देखा कि उनके हाथ का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने आस-पास के क्षेत्र की खुदाई करवायी तथा इसे एक वृहद ताल का स्वरूप प्रदान किया। आज भी ऐसी मान्यता है कि सुरहाताल में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। राजा तुरथ के नाम से ही इसका नाम सुखताल रखा गया। कालान्तर में यह उच्चारण प्रभावित होकर सुरहाताल के रूप में इसका सम्बोधन किया जाने लगा। इस ताल के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगों की धारणा है कि यह स्थल देवताओं का वास-स्थल होने के कारण सुरहा ताल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सन्दर्भ में इस ताल के किनारे बसे ग्राम का उल्लेख किया जाता है। इस ताल के किनारे वर्तमान में एक गाँव शिवपुर है, जिसे लोग देवभरीपुर पुराने नाम के रूप में बताते हैं। ऐसी

कहावत है कि देवता लोग इस स्थान पर भीड़ के शक्ल में इकट्ठे होते थे। इसलिए इसका नाम देवभरीपुर हुआ था। इसके किनारे पर स्थित दूसरे गाँव सुरजपुरा को लोग प्राचीन सूर्यपुरा बताते हैं। देवताओं का निवास स्थान इसी ग्राम में था। कैथवली को देवताओं के पंचायत स्थल के रूप प्रस्तुत किया जाता है। मैरीटार में सुखपुरा की गन्दगी इकट्ठा किया जाता था। दूसरी मान्यता यह है कि छठवीं शताब्दी में गंगा तथा घाघरा नदियों का संगम इसी जगह पर था। इस ताल के आस-पास 44 गाँव स्थित हैं। इन गाँव के निवासियों के जीवन यापन के लिए सुरहाताल गंगा के समान हैं। वहाँ के निवासी अपने रोजगार हेतु सुरहाताल पर काफी निर्भर रहते हैं। गर्मियों के दिनों में सुरहाताल से लगभग 50 से 100 कुन्तल तक मछलियाँ हो जाती हैं तथा बरसात के दिनों में सुरहाताल के चारो तरफ लगभग 5000 हे० भूमि जलमग्न हो जाती है।

अध्याय –2

संरक्षित क्षेत्र की पृष्ठ भौमिक सूचनाएँ एवं अन्य विवरण

2.1 सीमाएँ – सुरहाताल बांसडीह तहसील से दक्षिण बलिया से उत्तर कैथवली से पूरब तथा बांसडीह रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र के पूर्ण बन्दोबस्ती कार्यवाही के अभाव में सीमायें, पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं। सीमाओं का विवरण उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 1088/14-3/19-89, दिनांक : 27.03.1991 में वर्णित है। कुल क्षेत्रफल 3432.93 हे० जिसमें 3300.15 हैक्टेयर निजी भूमि है तथा 132.78 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि है। इस ताल के चारों ओर पड़ने वाले गाँव बसन्तपुर, सुरजपुर, सूर्यपुर, मैरीटार, शिवपुर, राजपुर, नरायनपुर, फुलवरिया, कैथवली तथा भीखपुर हैं।

2.1.1 विधिक सीमाएँ – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की विधिक सीमाओं का विवरण उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-1088/1/14/3-19/89 दिनांक : 27.03.1991 में वर्णित है। संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बन्दोबस्ती कार्यवाही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 धारा-19 से 25 तक उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रगति पर है। स्थानीय लोगों से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण अभी तक न हो पाने के कारण क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन नहीं हो सका है।

अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों/ग्रामीणों के स्वामित्व की काफी अधिक भूमि है, जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में पर्याप्त जल स्तर नहीं रहता है। अतः स्थानीय पारिस्थितिकी तन्त्र से साम्य बनाये रखते हुए उक्त सीमा के संकुचन हेतु उचित प्रयास किया जाना आवश्यक था।

2.1.2 पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सीमायें – संरक्षित क्षेत्र 34.32 वर्ग किमी के वर्तमान विस्तार में प्रकृति प्रदत्त एक सुदृढ़ एवं सक्रिय जल-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी सीमाओं पर कृषि प्रधान भू-क्षेत्र एवं ग्रामीण आबादी है। इस प्रकार संरक्षित

क्षेत्र के भू-दृश्य क्षेत्र में भी एक अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय है जो प्रत्यक्ष –अप्रत्यक्ष तरीके से संरक्षित क्षेत्र की पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है।

2.2 भू-विज्ञान शैल एवं मृदा – सुरहाताल पक्षी विहार सीमा में मुख्य रूप से काली मिट्टी पायी जाती है। जहाँ पर ऊँचा क्षेत्र है वहाँ पर पानी का बहाव अधिक होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन के कार्बोनेट अधिक होते हैं।

भू-विज्ञानी दृष्टि से यह क्षेत्र चतुर्थकल्पी जलोड अवसादों की मोटी तह से बना है। सम्पूर्ण क्षेत्र को निम्न भागों में विभाजित किया गया है।

1. **बलिया पुरातन जलोढ़क** – इसमें उच्चस्तरीय भू-भाग आते हैं।
2. **नवीन जलोढ़क** – इसमें निम्न स्तरीय भू-भाग आते हैं।
3. **सरोवरीय अवसाद** – यह भाग सतह पर स्थित पुरातन प्रवाहकों एवं तालों के मध्य पाये जाते हैं।

2.3 भू-प्रदेश – सुरहाताल पक्षी विहार क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बलिया जनपद का उच्चवर्तीय गंगा मैदान का एक भाग है। जिसके भूखण्ड बहुत ही उपजाऊ है।

जल स्रोत – सुरहाताल पक्षी विहार बलिया का मुख्य जल स्रोत कटहर नाला है, जो सरयू नदी से होता हुआ इस ताल में आता है।

पक्षी विहार में जल की स्थिति – इसमें कटहर नाला का पानी बहाव में रहता है। साथ ही ग्रामों का गन्दा पानी वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है, जो जल को प्रदूषित करता है सूखे के मौसम में ताल में पानी कहीं से भी नहीं आता है। सिल्ट रोकने के लिए भूमि संरक्षण कार्य की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के सभी [स्रोतों](#) के आवश्यक रोकथाम की आवश्यकता है।

2.4 जलवायु – सुरहाताल पक्षी विहार की जलवायु उत्तर प्रदेश के गांगेय मैदानी क्षेत्रों में पायी जाने वाली उष्ण जलवायु की तरह है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है तथा शीत ऋतु में ठण्ड पड़ती है। अधिकतम तापमान 47⁰ सेल्सियस तथा न्यूनतम

तापमान 4⁰ डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में गरम हवाएँ तथा लू चलती है एवं शीत ऋतु में कभी-कभी पाला पड़ता है।

2.4.1 वर्षा विन्यास एवं विवरण – जुलाई से सितम्बर तक सर्वाधिक वर्षा होती है तथा कभी-कभी माह जून में तीसरे सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। कभी-कभी माह जनवरी व फरवरी में भी वर्षा हो जाती है।

सामान्यतः वर्षा का औसत पूरे वर्ष में 800–900 मिमी० रहता है। यह सूचना सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है वर्षा के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट (4) में दिया गया है।

2.4.2 तापमान – सुरहाताल बलिया के तापमान अधिकतम 43.3 सेल्सीयस तथा न्यूनतम 5.4 सेल्सीयस है। यह सूचना जनपद बलिया के सांख्यिकीय पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आंकलित कर दर्शाया गया है। तापमान के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट (5) में दिया गया है।

2.4.3 पाला – माह दिसम्बर से फरवरी तक रातें काफी ठण्ड होती हैं। पाले का सर्वाधिक प्रकोप जनवरी में होता है।

2.4.4 पवन – ग्रीष्म ऋतु में गरम हवायें (लू) चलती हैं। सामान्य रूप से इस क्षेत्र में वृक्षों की कमी होने के कारण हवा का दबाव समीपवर्ती क्षेत्र की तुलना में अधिक है।

2.4.5 आद्रता – संरक्षित क्षेत्र प्रधानतः एक स्थायी जल निकाय होने के कारण इसके परिवेश में प्रायः वर्ष भर सामान्य आद्रता बनी रहती है। इसका प्रभाव अंशतः इसके चारों ओर के भू-दृश्यक क्षेत्र पर भी परिलक्षित होता है।

2.4.6 सूखा एवं बाढ़ – सूखे के मौसम में इस पक्षी विहार में पानी का विस्तार संकुचित हो जाता है जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर **विपरीत** प्रभाव पड़ता है। संरक्षित क्षेत्र गंगा व घाघरा नदी के मध्य स्थित होने के कारण प्रायः बाढ़ का प्रकोप सहन करता है।

2.5 जल संसाधनों की प्रकृति एवं वितरण – संरक्षित क्षेत्र वस्तुतः 34.32 वर्ग किमी में विस्तारित जल पारिस्थितिकीय युक्त एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरयू/घाघरा नदी से आने वाला कटहर नाला वर्ष भर जल आपूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के चारों ओर विस्तीर्ण विशाल भू-भाग इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। जिससे वर्षा के दिनों में कई छोटे-मोटे नालों से इसमें जल आता रहता है। कृषि क्षेत्र से बहकर आने वाला जल विभिन्न रसायनों से युक्त होने के कारण प्रदूषित होता है। संरक्षित क्षेत्र के आस-पास कोई औद्योगिक क्षेत्र न होने के कारण अन्य प्रकार के प्रदूषण युक्त जल के प्रवाह से यह क्षेत्र सुरक्षित है।

2.6 वन्य जीवन की स्थिति वितरण व प्राकृतवास – भौगोलिक दृष्टि से जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार गांगेय मैदान का जलाच्छादित भू भाग है। इस विशाल जल-निकाय का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यन्त पुराना व परिपक्व है। इसमें विभिन्न प्रकार के जलजीव व जलीय वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।

2.6.1 पादप जगत – इस संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इसमें पायी जाने वाली प्रमुख जलीय वनस्पतियों में फौक्सनट पानी बेल, शैवाल (Algae), मार्सेलिया (Marsilea), जंगली चावल (Wild Rice), काई (Spirodala) भूरी काई (Azolla) तथा पुरइन और जलकुम्भी (Water hyacinth) हैं।

2.6.2 प्राणी जगत – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में पाये जाने वाले प्राणी वर्गवार निम्न है –

2.6.2.1 कशेरुकी प्राणी (Vertebrates) – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में कशेरुकी वर्ग के प्राणी बहुतायत पाये जाते हैं –

(क) मत्स्य वर्ग –

(i) सौर	Channa Punctatus	(vi) टेंगर	Fassilis
(ii) मांगुर	Catfish - Clarias spp)	(vii) सूर्या	Sardine
(iii) नैन	Cirrhinus Marigala	(viii) सिद्धी	Heteropenustes
(iv) रोहू	Labeo rohita	(ix) वाम	Sping Eel
(v) पतरा	Hotopterus		

(ख) उभयचरी वर्ग –

- | | | |
|-------|-----------------|---------------|
| (i) | मेढक | Rana Tigrana |
| (ii) | टोड / मेकर | Maitenotix |
| (iii) | राना टिक्नोबारी | Rana Timowari |

(ग) सरीसृप वर्ग –

- | | | |
|-------|--------------|--------------------------|
| (i) | पनिहा साँप | Xenochroupis Piscator |
| (ii) | सुन्दरी कछुआ | Indian flap shell turtle |
| (iii) | पचेड़ा | Kachnga teeta |
| (iv) | काला काठा | Pond turtle |
| (v) | करैत | Bungarus caerullus |

(घ) पक्षी वर्ग – इस संरक्षित क्षेत्र में प्रवासी व अप्रवासी दोनों तरह के पक्षियों का वास है।

- | | | |
|--------|-----------|---------------------------|
| (i) | जल कौआ | Little Cormorant |
| (ii) | डुबडुबी | Little greber or Dabchick |
| (iii) | पुनडुब्बी | Darter or Snake Bird |
| (iv) | नीलसर | Mallard |
| (v) | जल मुर्गी | Indian Moorhen |
| (vi) | बगुला | Little Egret |
| (vii) | स्पाटबिल | Grey Duck |
| (viii) | टीका | Teeka |
| (ix) | नकटा | Comb duck |
| (x) | सुर्खाब | Brahmany duck |

(ड) प्रवासी पक्षी –

(i)	छोटी मुर्गाबी	Common teal
(ii)	सीखपर	Pintail
(iii)	भुआर	Gadwal
(iv)	लालसर	Red crested Pochard
(v)	तिदारी	Shoveller
(vi)	कूट	Coot
(vii)	लालसीर	Common Pochards
(viii)	सावन	Bar headed Goose

2.6.2.2 (limiting Factors) – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में निरन्तर विस्तारित हो रही जलकुम्भी से जलराशि में आक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निरन्तर कम हो रही है। परिणामतः संरक्षित क्षेत्र की जलीय वनस्पति व जलजीवों के अस्तित्व को खतरा है।

अतः संरक्षित क्षेत्र में जलकुम्भी की मौजूदगी लिमिटिंग फैक्टर के रूप में है।

2.6.2.3 अकेशेरुकी प्राणी – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में अकेशेरुकी प्राणियों मुख्यतया निम्न प्रकार पाये जाते हैं –

(i)	अमीबा	(Amoeba)
(ii)	पैरामीसियम	Paramecium
(iii)	केंचुआ	Earthworm
(iv)	जोंक	Leech
(v)	झींगा	Prawn
(vi)	घोंघा	Snail
(vii)	सीपा	Fren water
(viii)	केकड़ा	Crab

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में इनका स्थान, स्तर, वितरण जनसंख्या घनत्व इत्यादि का वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है।

अध्याय-3

प्रबन्धन का इतिहास तथा वर्तमान पद्धतियाँ

3.1 संरक्षण इतिहास —सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में प्रवासी पक्षी जाड़ा बिताने हेतु आते हैं तथा स्थानीय पक्षियाँ भी ताल में आती हैं। इनकी सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या 1088/14-3-89 मार्च 1991 द्वारा सुरहाताल को पक्षी विहार घोषित किया है। इस ताल में 3300.15 हेक्टेयर निजी भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि मात्र 132.78 हेक्टेयर है। वन विभाग की कोई भूमि नहीं है। निजी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा धान की रोपाई करके अन्न पैदा किया जाता है। सम्पूर्ण ताल के क्षेत्र में मल्लाहों द्वारा तथा ग्रामवासियों द्वारा मछली पकड़ा जाता है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत जिलाधिकारी बलिया द्वारा विज्ञप्ति/पत्रांक -10/काशी प्र0/15-टी0सी0, दिनांक : 18.12.2006 द्वारा उद्घोषणा कर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के दावों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों की आपत्तियों/दावों को आमंत्रित किया गया है। दावों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में विगत में प्रमुख रूप से निम्न कार्य कराये गये हैं —

1. देशी व प्रवासी पक्षियों के प्राकृतवास में सुधार हेतु जल क्षेत्र के उथले भागों में कृत्रिम द्वीपों (माउण्ड्स) का निर्माण।
2. पक्षियों तथा अन्य जलीय जन्तुओं को अवलोकित करने हेतु वाच टावरों का निर्माण।
3. संरक्षित क्षेत्र से हानिकारक वनस्पति जैसे जलकुम्भी इत्यादि उन्मूलन हेतु वार्षिक सफाई।
4. भू-दृश्य क्षेत्र की ग्रामीण जनता हेतु विकास कार्य यथा हैण्डपम्प, खड़जा मार्ग इत्यादि।
5. भू-दृश्य क्षेत्र में रोजगार परक कार्य यथा मधुमक्खी पालन के व्यवसाय हेतु अनुदान।

- 3.2 प्राकृतवास प्रबन्धन** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र का अभी तक सुचारु रूप से वैज्ञानिक अध्ययन न होने के कारण इसके प्राकृतवास के विभिन्न घटकों तथा कारकों की यथार्थपरक सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः प्राकृतवास प्रबन्धन के तौर पर अभी तक संरक्षित क्षेत्र से हानिकारक वनस्पति – जलकुम्भी इत्यादि की सफाई मात्र ही की जाती रही है।
- 3.3 सुरक्षा एवं खुपिया तंत्र** –संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षा हेतु प्रारम्भ से ही मात्र दो वन्य जीव रक्षक तैनात रहे हैं। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा क्षीण है। और सम्भवतः इसी कारण सुरक्षा एवं सुरक्षा तंत्र जैसे पक्षों पर स्थिति संतोषप्रद नहीं है।
- 3.4 पर्यटन व प्रचार-प्रसार** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद-बलिया एक विस्तृत जल निकाय है। जिसके चारों ओर गाँव बसे हुए हैं। यहाँ के ग्रामवासी/मल्लाह, मछुआरे तथा अन्य निर्बल वर्ग के लोग अपनी रोजी-रोटी तथा व्यवसाय हेतु विभिन्न तरीके से इसी तालाब पर निर्भर हैं। इस जल क्षेत्र को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18 के अन्तर्गत पक्षी विहार के रूप में अधिसूचित हुए लगभग बीस साल हो रहा है परन्तु अभी तक सम्यक बन्दोबस्ती कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। पक्षी विहार के सन्निकट बसन्तपुर क्षेत्र में शहीद स्मारक पार्क का निर्माण किया गया है, जहाँ आने वाले स्थानीय पर्यटक को भी अभी पक्षी विहार की ओर आकृष्ट नहीं किया जा सका है। वस्तुतः इस संरक्षित क्षेत्र के प्रति स्थानीय जनता का विरोध तथा बन्दोवस्ती कार्यवाही की धीमी प्रगति तथा प्रबन्धन की उचित प्रणाली व शैली का अभाव ही इसके प्रमुख कारण है। प्रबन्धन की असफलता का स्तर यह है कि वन एवं वन्यजीव, पर्यावरण तथा पक्षी विहार, के प्रचार-प्रसार हेतु यहाँ पर लगाए गए अनेक प्रदर्शन बोर्ड, पट्टिकाएँ तथा होर्डिंग्स इत्यादि स्थानीय निवासियों द्वारा तोड़-फोड़ तथा उखाड़ दिए जाते हैं।

3.5 शोध तथा अनुश्रवण — पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार एक पूर्ण, संतुलित व महत्वपूर्ण जल निकाय है। इस विस्तृत जल क्षेत्र में अनेक जलीय वनस्पतियाँ, जल-जीव व प्रवासी एवं अप्रवासी पक्षियाँ बहुतायत संख्या में पायी जाती हैं। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बाहर से प्रवासी पक्षी शीत ऋतु की शुरुआत में यहाँ आते हैं और बसन्त ऋतु में चले जाते हैं। यहाँ पर गुजारे गए प्रवास काल में उनके द्वारा इस संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या योगदान निहित रहता है, यह शोध का विषय है। इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र के जल जीवन/प्राकृतवास तथा जलीय वनस्पति व जलजीवन का अभी तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। स्थानीय वायु, मिट्टी तथा जल प्रदूषण के कारकों का इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के परिणामों का भी अभी तक नियमित व सुव्यवस्थित अनुश्रवण न किए जाने के कारण विगत के अनेक पारिस्थितिकी सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव है। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में किए गए अनेक कार्यों के फलस्वरूप यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार-स्तर का वैज्ञानिक-अध्ययन भी किया गया प्रतीत नहीं होता। हाँ, विगत के दो-तीन वर्षों में स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता की भावना का संचार हुआ अवश्य परिलक्षित होता है।

3.6 गाँवों की पुर्नस्थापना — संरक्षित क्षेत्र की सीमा में गाँव स्थित न होने के कारण पुर्नस्थापन की आवश्यकता नहीं रही है, परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा में आस-पास के 44 ग्रामों की 3300.15 है० कृषि भूमि सम्बन्धी बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रगति पर है।

3.7 प्रशासन तथा संगठन — सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में वर्तमान में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग वाराणसी के नियंत्रण में परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास परियोजना सारनाथ वाराणसी द्वारा की जाती है।

स्थानीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा तथा अन्य प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु दो वन रक्षक/वन्य जीव

रक्षक तैनात है, कुल मिलाकर संरक्षित क्षेत्र हेतु वर्तमान सांगठनिक ढाँचा अप्रभावी व अपर्याप्त है।

- 3.8 लीजें तथा पट्टे इत्यादि** – संरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार की लीजें/पट्टे इत्यादि का आवंटन नहीं किया गया है, परन्तु संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से ही अनेक स्थानीय निवासियों की पैतृक भूमि इस क्षेत्र में सम्मिलित है। उक्त भूमि का उनके द्वारा कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के दावों का निस्तारण कार्य किया जा रहा है।
- 3.9 वन अग्नि** – संरक्षित क्षेत्र प्रमुखतः जल-निकाय होने के कारण किसी-प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं अथवा ऐसी सम्भावनाओं के निराकरण हेतु विगत में कोई रणनीति निर्धारित नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
- 3.10 कीटाणु तथा रोगाणु जनित संक्रमण** – संरक्षित क्षेत्र के विगत के प्रबन्धन में यद्यपि इस मुद्दे को उपेक्षित किया जाता रहा है, परन्तु शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न संरक्षित क्षेत्र के जल जीवों व वनस्पतियों का आयातित जल प्रदूषण तथा मवेशियों से रोगों के संक्रमण की ग्राह्यता का आकलन कर उचित निरोधात्मक निदान आवश्यक होगा।
- 3.11 वन्य जीवन संरक्षण रणनीति तथा मूल्यांकन** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की स्थापना सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना जारी होने के पश्चात् संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में जलीय जीव जन्तु वनस्पति पक्षियों तथा उनके प्राकृतवास की सुरक्षा-संरक्षा हेतु निम्न रणनीति अपनायी जाती रही हैं –
1. जलीय प्राणियों उनके प्राकृतवास तथा प्रवासी व स्थानीय पक्षियों की सुरक्षा हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वन्य जीव अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक विधिक कार्यवाही।
 2. प्राकृतवास की गुणवत्ता में सुधार व वृद्धि हेतु जलकुम्भी इत्यादि हानिकारक वनस्पति का संरक्षित क्षेत्र से उन्मूलन/निस्तारण।
 3. वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन।

4. पर्यावरण एवं वन्य जीवों के प्रति जन जागरुकता तथा प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, बोर्ड, होर्डिंग्स, इत्यादि की स्थापना।
5. स्थानीय निर्बल वर्ग के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में वित्तीय अनुदान व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
6. स्थानीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा पेयजल तथा सड़क मार्ग इत्यादि की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

उपरोक्त कार्यों का अनुश्रवण व मूल्यांकन किए जाने पर सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं।

3.12 संचार – सुरहाताल पक्षी विहार पूर्वी उ०प्र० जनपद बलिया का एकमात्र बड़ा ताल है। जिसमें कोई संचार व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वायरलेस हैंड सेट, बड़ा सेट, टेलीफोन आदि नहीं है। इस कारण कोई आवश्यक सूचना लिया जाना या दिया जाना सम्भव नहीं है।

3.13 अन्तर्विभागीय/अन्य संस्थाओं के मध्य कार्यक्रम व समस्याएँ – संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के सम्यक विकास हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं/विभागों के मध्य साझा व समन्वित कार्यक्रम की यथेष्ट, आवश्यकता है। विगत में इस प्रकार की रणनीति को न संज्ञान में लिया गया और न ही इसकी समीक्षा की गयी। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में स्थानीय सभी कारकों में वस्तुतः जन-समुदाय का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी व अपरिहार्य है। इस हेतु उनके रोजगार व व्यवसाय तथा शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग कर उनका भावनात्मक सहयोग अर्जित किया जा सकता है। इस कार्य में अन्य संगत विभागों तथा संगठनों/संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित होगा। अतः जनपद स्तर पर प्रशासन, निर्माण विभाग, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, रेशम तथा मधुमक्खी पालन, तथा शिक्षा विभाग से समन्वित तालमेल कर वांछित कार्यक्रम के संचालन हेतु रणनीति निर्धारित की जा सकती है।

जय प्रकाश नारायण संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में अभी तक इस प्रकार का कोई ठोस व सक्रिय कार्यक्रम अथवा रणनीति निर्धारित नहीं की गई है।

3.14 वन्य जीवन के प्रति चुनौतियाँ – जयप्रकाश नारायण, पक्षी विहार जैव व अजैव घटकों का प्रमुखतः एक जल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें जल जीवों के अस्तित्व के सापेक्ष स्थानीय कारकों के रूप में विभिन्न चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं –

- i) आखेट** – स्थानीय लोगों द्वारा चोरी छिपे इस संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर मछली, कछुआ, झींगा तथा प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों का अवैध आखेट कर लेना।
- ii)** संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर कृषि क्षेत्र से जल प्रवाह के साथ विषैले रासायनिक द्रव्यों के प्रवाह से जल वनस्पति व जल जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव।
- iii)** संरक्षित क्षेत्र में जलावरण के रूप में निरन्तर आच्छादित होती जा रही जलकुम्भी।
- iv)** स्थानीय निवासियों का संरक्षित क्षेत्र के प्रति असन्तोष व असहयोग।

अध्याय –4

संरक्षित क्षेत्र व सन्धिस्थल अवस्थित भू-उपयोग की स्थिति

(THE PROTECTED AREA AND THE INTERFACE LAND USE SITUATION)

4.1 जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्र (34.33 वर्ग किमी) के अतिरिक्त इसके चारों ओर का भूदृश्य क्षेत्र भी इसके प्रभावकारी जोन (Zone of influence) में पारिस्थितिकीय दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। भू-दृश्य क्षेत्र में प्रमुखतः कृषि व आवासीय क्षेत्र सम्मिलित है। वर्षा ऋतु में जल प्रवाह के साथ कृषि क्षेत्र से मिट्टी, खाद, विषैले रसायन तथा अन्य विजातीय वनस्पति (खर-पतवार) संरक्षित क्षेत्र में एकत्र होकर इसकी मौलिक पारिस्थितिकीय संरचना को प्रभावित करते हैं।

4.2 भू-उपयोग-वर्गीकरण (LAND USE CLASSIFICATION) –

संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रमुखतः निम्न दो प्रकार के भू उपयोग क्षेत्र हैं –

- (i)** आवासीय भू-क्षेत्र (गाँव व बस्तियाँ इत्यादि)।
- (ii)** कृषि क्षेत्र।
- (iii)** चारागाह क्षेत्र –जिसमें ग्राम समाज भूमि, सड़को व नहरों के किनारे के वन क्षेत्र तथा बाग-बगीचे सम्मिलित हैं।
- (iv)** अन्य क्षेत्र जिसमें, सड़क मार्ग व नहरें सम्मिलित हैं।

4.3 जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र में 44 गाँव स्थित हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 53233 है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की विषम स्थिति है। इस क्षेत्र में लगभग 35.90 प्रतिशत परिवारों की जीविका कृषि आधारित है। इसके अतिरिक्त 15.75 प्रतिशत परिवार दुग्ध व्यवसाय/मवेशी पालन, 14.98 प्रतिशत परिवार मत्स्य पालक/आखेट

तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य कर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या का एक बड़ा भाग संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर हैं।

इसके अतिरिक्त गरीबी के आँकड़े और भी भयावह हैं। लगभग 41.50 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह लोग संरक्षित क्षेत्र से अवैध रूप से मत्स्य आखेट तथा उत्पादों का दोहन कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

इन गाँवों में शिक्षा का स्तर भी निम्न है। लगभग 54 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। 25 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक स्तर पर, 12 प्रतिशत हाईस्कूल, 16 प्रतिशत इण्टरमिडिएट तथा मात्र 2 प्रतिशत व्यक्ति स्नातक स्तर पर शिक्षा ग्रहण किये हैं। आर्थिक शैक्षणिक आंकड़े परिशिष्ट-15 में दिये गये हैं।

4.4 ग्रामीणों की संसाधन निर्भरता –

1. सुरहाताल पक्षी विहार के इर्द-गिर्द भूमि सामान्य कृषि भूमि है। इसके चारो ओर कई गाँव हैं। ग्रामवासियों की निर्भरता वन्य जीव विहार के संसाधनों पर रहती है। वन्य जीव विहार के निकटवर्ती ग्रामों में औसत जोत कम है तथा चारागाह भी नहीं है। इसलिए इन गाँवों की मवेशियाँ गाँवों के साथ ही साथ वन्य क्षेत्र के किनारे चराई करती हैं। इससे पक्षियों के ताल में रहने से अवरोध होता रहता है साथ में जैविक दबाव के कारण प्राकृतिकवास को भी क्षति पहुँचती है।
2. आस-पास के ग्रामवासियों की आर्थिक दशा काफी खराब है जीवन यापन हेतु ये लोग इस क्षेत्र में संसाधनों की प्राप्ति हेतु सुरहाताल पक्षी विहार में मछली पकड़ना एवं अन्य व्यवसायिक कार्य करते हैं।

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार सीमा के इर्द-गिर्द ग्रामीणों की कृषि भूमि स्थित है इनमें खेती का कार्य होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यह कीटनाशक बरसात में वर्षा के पानी के साथ संरक्षित क्षेत्र में आता है। इससे जलीय जीवों एवं

वनस्पतियों पर कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र भी कुप्रभावित होता है।

4.5 भू-दृश्य क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र – () संरक्षित क्षेत्र के सीमाओं पर चारो ओर विस्तारित भू-दृश्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्र ही प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय भी गौण उत्पादन क्षेत्र के रूप में मौजूद है।

4.6 मानव-वन्य जीव द्वन्द्व – संरक्षित क्षेत्र अथवा उसके चारो ओर विस्तारित भू-दृश्य क्षेत्र में किसी प्रमुख मानव वन्य जीव द्वन्द्व की स्थिति नहीं है। नीलगायों द्वारा कृषि क्षेत्र में फसले नष्ट करने की घटनायें इस द्वन्द्व में सम्मिलित की जा सकती हैं। संरक्षित क्षेत्र पर इस प्रकार के द्वन्द्व से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की सम्भावना को चिन्हित किया जा सकता है।

4.7 सम रेखीय संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन – संरक्षित क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर अन्य किसी संस्था स्वैच्छिक संगठन अथवा विभाग से किसी प्रकार के सक्रिय योगदान अथवा सहभागिता की स्थिति प्रायः शून्य है।

4.8 संरक्षित क्षेत्र तथा प्रभावकारी जोन (भू-दृश्य क्षेत्र) को प्रभावित करने वाली जन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण – जनपद बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के चारो ओर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बेरोजगारी असंतुलित सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा के अभाव इत्यादि कारकों की उपास्थित से संरक्षित क्षेत्र तथा उसके प्रबन्धन की सफलता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।

(i) गरीब समुदाय के बिन्द, मल्लाह केवट तथा अन्य लोग संरक्षित क्षेत्र से मछली झींगा प्रवासी-अप्रवासी पछियों को विक्रय करने हेतु आखेट का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह की जलवनस्पति जैसे पुरइन और सेवार इत्यादि का भी दोहन करते हैं।

(ii) शिक्षा तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के अभाव में अपेक्षाकृत समृद्ध ग्रामीण लोगों द्वारा उक्त प्रकार के आखेट को क्रय कर भक्षण करने की प्रवृत्ति के कारण उक्त अवैध आखेट को प्रोत्साहन मिलता है।

- (iii) जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अधिक अन्न उत्पादन के लक्ष्य से लोग अपनी फसलों में अनियन्त्रित मात्रा में रसायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग कर जल तथा मृदा प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जो जल प्रवाह के साथ संरक्षित क्षेत्र में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की सक्रियता व संतुलन को क्षीण करता है।
- (iv) स्थानीय राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी जन सामान्य में संरक्षित क्षेत्र के प्रति आक्रोश बढ़ाकर संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्रिया-कलापों को बढ़ावा दिया जाता है।
- (v) बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण स्थानीय जन सहयोग का अभाव है।

अध्याय —5

दृष्टि उद्देश्य और समस्याएँ

- 5.1 दृष्टि** — जनपद बलिया स्थित विस्तृत जल क्षेत्र सम्पन्न सुरहाताल (वर्तमान जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार) को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-972 की धारा-18 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 1088/14-3/19.89 द्वारा अधिसूचित किया गया। पक्षी विहार घोषित करने की पृष्ठ भूमि में इस जल निकाय में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ स्थानीय पक्षियों एवं विभिन्न प्रकार के जलजीवों व जल वनस्पति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए इस संरक्षित क्षेत्र को एक सक्रिय व गतिशील स्थायी पारिस्थितिकीय तन्त्र के रूप में विकसित करना था।

तदनुसार वर्तमान प्रबन्ध योजना का प्रमुख उद्देश्य इस विस्तृत जल क्षेत्र के एक स्वस्थ, सक्रिय व आदर्श व गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित कर पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु एक मजबूत आधारशिला प्रदान करना है। उचित व वैज्ञानिक प्रबन्धन के आधार पर यह कार्य प्रस्तावित प्रबन्ध योजना अवधि में सम्भव होने की आशा है।

5.2 प्रबन्धन के उद्देश्य —

1. गांगेय मैदान के पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन।
2. संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता को सजीव संग्रहालय अथवा जीन बैंक के रूप में विकसित करना।
3. वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
4. प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन।
5. पक्षियों हेतु सुरक्षित निर्जन स्थलों एवं भोज्य पदार्थों में वृद्धि करना।
6. प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को विशिष्ट रूप से विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना।

7. जनसाधारण को क्षेत्रीय वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करना।
8. क्षेत्रीय/स्थानीय निवासियों की सहभागिता से संरक्षण का कार्य करना।
9. पर्यावरण चेतना आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना एवं संरक्षित क्षेत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
10. संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत एवं आस-पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय शोध अध्ययन को बढ़ावा देना।

5.3 उद्देश्य/लक्ष्य प्राप्ति में समस्याएँ – प्रबन्ध योजना में लक्ष्यों को प्रस्तावित करते हुए पक्षी विहार से सम्बन्धित अनेक प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण एवं समीक्षा आवश्यक है ताकि तदनुसार विभिन्न सम्बन्धित योजनाओं को संशोधित, सुदृढ़ व लचीलेपन के साथ प्रस्तुत किया जा सके। उद्देश्य प्राप्ति की समस्याओं को प्रमुखतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) क्षेत्रगत समस्याएँ – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार 34.33 वर्ग किमी क्षेत्र का एक विस्तृत जल निकाय है जिसमें 33.00 वर्ग किमी निजी भूमि तथा लगभग 1.33 वर्ग किमी ग्राम समाज की भूमि है। पक्षी विहार के अन्तर्गत निजी स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण में अनेक बाधाएँ हैं। सम्बन्धित भूमि के मालिक/कृषक इस मुद्दे को लेकर प्रायः आन्दोलित होकर पक्षी विहार की स्थापना का प्रारम्भ से ही विरोध करते रहे हैं। पक्षी विहार के इर्द गिर्द सामान्य कृषि भूमि है तथा निकटवर्ती ग्रामीणों की औसत जोत कृषि भूमि कम है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक वर्गों के ग्रामीणों की निर्धनता तथा बेरोजगारी भी उन्हें पक्षी विहार के संसाधनों का दोहन करने को विवश करती हैं। अनेक व्यक्ति इस जल क्षेत्र से अवैध मत्स्य आखेट कर अपना जीवन-यापन करते हैं। समीपस्थ गाँवों के सम्पन्न लोग माँस भक्षण हेतु पक्षियों तथा अन्य जल जीवों के आखेट को प्रश्रय देते हैं। बहुत से ग्रामीण इस जल क्षेत्र की वनस्पतियों यथा कमलगट्टा, पुरइन इत्यादि को एकत्र कर विक्रय करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जैविक दबाव के कारण पक्षियों तथा जल जीवों के प्राकृतवास को क्षति पहुँचती है।

(ख) प्रदूषणजनित समस्या –

(i) जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास निकटवर्ती गाँवों की कृषि भूमि विस्तारित है जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु कृषक लोग प्रायः अनियंत्रित मात्रा में कीटनाशक तथा उर्वरक रसायनों का प्रयोग करते हैं। यह विषाक्त रसायन वर्षा के पानी के साथ बहकर संरक्षित क्षेत्र में जल की गुणवत्ता में ह्रास करता है। इस प्रकार का प्रदूषण जलीय वनस्पति एवं जलजीवों के लिए घातक होता है।

(ii) निकटवर्ती गाँवों के मवेशी भी संरक्षित क्षेत्र के इर्द-गिर्द चराई करते हुए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अनेक जल जीवों तथा पक्षियों में संक्रमण तथा रोगों की सम्भावनायें लगातार बनी रहती हैं।

(ग) प्रशासनिक समस्याएं –

(i) जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में काशी वन्य जीव प्रभाग वाराणसी रामनगर के प्रशासनिक नियंत्रण में है जो मुख्यालय से लगभग 185 किमी दूर पड़ता है। अतः संरक्षित क्षेत्र के सक्रिय, व्यवस्थित, प्रभावी तथा त्वरित प्रबन्धन में यह एक प्रमुख अड़चन है। –

1. पक्षी विहार में तैनात कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है तथा साथ-साथ आवश्यक संसाधन नाममात्र के ही उपलब्ध है।
2. संरक्षण, विकास कार्य करने हेतु संसाधनों का अभाव है।
3. विभिन्न शासकीय संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग में भी कमी है। इस कारण विकास कार्य का सीमित प्रभाव होता है।
4. स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र की महत्ता से सम्बन्धित जानकारी का भी अभाव है। अतः संरक्षण में उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

अध्याय-6

प्रमुख रणनितियाँ

6.1 सीमायें –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 1088/14-3-19-89 दिनांक : 27 मार्च 1991 में संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं को संरक्षित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की संधि पर स्थित भूखण्डों की आराजी संख्या/गाटा नम्बर है वर्णित किया गया है। जनपद बलिया स्थित राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा इस प्रकार का भौतिक सीमांकन सम्भव नहीं हो सका है और न ही अभी तक इस संरक्षित क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र ही प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रेखांकन व सीमांकन नहीं हो सका है। वस्तुतः संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बन्दोवस्त की कार्यवाही प्रगति पर है। विभिन्न दावेदारों की आपत्तियों/दावों के निस्तारण के उपरान्त ही संरक्षित क्षेत्र का मौके पर स्पष्ट सीमांकन सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र की सीमा जल विस्तार के रूप में ही अभिकल्पित है।

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार हेतु अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत लगभग 3300 है० कृषि भूमि सम्पूर्ण निजी स्वामित्व की है। इसमें से 2000 है० भूमि पर वर्ष के अधिकांश महीनों में पर्याप्त जल स्तर नहीं रहता है। अतः पक्षी विहार की सीमा के सकारात्मक निर्धारण हेतु निम्न स्थिति का अध्ययन कर वांछित जैव पारिस्थितिकी के साथ साम्य स्थापित करते हुए सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा –

- (क) माह फरवरी में जल स्तर अथवा जल सीमा की स्थिति जी०पी०एस० लोकेशन के अनुसार।
- (ख) माह जून में जल सीमा की स्थिति उपरोक्तानुसार।

पक्षी विहार तथा इसके पारिस्थितिकी तन्त्र के सापेक्ष उक्त दोनों जल स्तरों की पर्याप्तता का अध्ययन विश्लेषण करते हुए एक मध्यम स्थिति का आंकलन

कर यथासम्भव वर्तमान सीमा को अतिआवश्यक मानक के अनुसार संकुचित/नियन्त्रित करने का सकारात्मक प्रयास किया जायेगा।

6.2 क्षेत्रगत विभक्तता –

पारिस्थितिकीय प्रबन्धन की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र के सापेक्ष निम्न दो क्षेत्रों को संज्ञान में लिया जाना उपयुक्त होगा –

(क) आन्तरिक क्षेत्र –

यह क्षेत्र वस्तुतः सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित होगा तथा इसमें अभयारण्य से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधान लागू होंगे। संरक्षित क्षेत्र की बन्दोबस्त प्रक्रिया में तार्किक दृष्टि से वास्तविक उपयोगी भू-खण्ड ही सम्मिलित किये जायेंगे।

(ख) प्रतिरोधक क्षेत्र –

संरक्षित क्षेत्र से बाहर चारों ओर लगभग 5 किमी⁰ चौड़ी पट्टी का भू-दृश्य क्षेत्र प्रतिरोधक जोन के रूप में चिन्हित कर संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु चयनित किया जायेगा। इस क्षेत्र की उन सभी गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को जिनसे संरक्षित क्षेत्र प्रभावित तथा प्रेरित होता है तथा संरक्षित क्षेत्र का उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों तथा सम्बन्धित समस्त आयामों को प्रबन्धन में सम्मिलित किया जायेगा। इस जोन में अभयारण्य सम्बन्धी विभिन्न विधिक प्रावधान लागू नहीं होंगे यद्यपि वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी सामान्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

6.3 क्षेत्र योजना –

संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी विकास तथा संरक्षण-संवर्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को सम्बन्धित क्षेत्र में समुचित रूप में लागू करने हेतु निम्न प्रकार योजनाबद्ध किया जायेगा।

6.3.1 संरक्षण क्षेत्र योजना –

संरक्षित क्षेत्र में सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रियता सुदृढ़ता गतिशीलता एवं निरंतरता प्रदान करने हेतु निम्न कार्य किए जायेंगे –

(i) संरक्षित क्षेत्र में अभयारण्य सम्बन्धी समस्त विधिक प्रावधानों यथा आखेट एवं प्रवेश पर प्रतिबन्ध इत्यादि को प्रभावी स्तर पर क्रियान्वित करना। इस हेतु पर्याप्त वनकर्मियों एवं सुरक्षा बल की तैनाती तथा पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग वांछित होगा

(ii) पक्षी विहार में जल की स्थिति –

इसमें कटहर नाला का पानी बहाव में रहता है। साथ ही ग्रामों का गन्दा पानी वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है, जो जल को प्रदूषित करता है। सूखे के मौसम में ताल में पानी कहीं से भी नहीं आता है। सिल्ट रोकने के लिए भूमि संरक्षण कार्य की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के सभी आवश्यक रोकथाम के उपाय किये जायेंगे।

(iii) शरण स्थल विकास –

वर्तमान में पक्षी विहार स्थल को और अधिक सुन्दरता और मनोरंजन दृष्टिकोण से स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ प्रवासी पक्षियों की समदृष्टि से विकास हेतु आईलैण्ड निर्माण, वृक्ष पट्टिकाओं व घास वाली भूमि की स्थापना के अतिरिक्त पक्षियों के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण तथा हानिकारक खर-पतवार नियंत्रण आदि कार्य किये जायेंगे।

(iv) अवांछित हानिकारक खरपतवारों का उन्मूलन –

खरपतवार का तात्पर्य स्थान विशेष पर अवांछित पादपों से है। वेटलैण्ड सामान्यतः पौधों के घने क्षेत्र होते हैं। जलीय पादपों की बढ़ोत्तरी नम भूमि की सम्पन्नता की द्योतक होती हैं। यह पादप जलीय जीवों, जल पक्षियों और मछलियों के लिए भोजन एवं प्रजनन स्थल उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में पौधों को खरपतवार कह पाना मुश्किल हो जाता है परन्तु जब किसी विशेष प्रकार के पादपों का अनुपातिक दृष्टि से बहुमत हो जाता है, तो वह अन्य उपयोगों हेतु वांछित प्रजाति के पादपों की वृद्धि को बाधित कर देता है या प्रजाति को नष्ट कर देता है जिसका सीधा प्रभाव नम भूमि जीवन जगत पर पड़ता है। इस प्रभाव से यह खरपतवार का रूप धारण

कर लेता है। जलीय वनस्पतियों की घनीवृद्धि जल पक्षियों के संचरण को प्रभावित करती हैं तथा इन पक्षियों को भोजन खोजने एवं तैरने में बाधा पैदा करती हैं ये खरपतवार पूरे क्षेत्र को ढक लेती हैं और वांछित प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। इनमें मुख्यतया जलकुम्भी है।

(v) मत्स्य प्रबन्ध –

सुरहाताल पक्षी विहार में मत्स्य-भोजी और कीट-भक्षी, जलपक्षी भी प्रवास करते हैं। मत्स्य भोजी पक्षियों के लिए अधिक मात्रा में मछली की आवश्यकता होती है। विशेष तौर पर प्रजनन काल में ऐसी स्थिति में मछलियों का पर्याप्त मात्रा बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। अतः अवैध मत्स्य आखेट पर प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है।

(vii) जलीय वनस्पतियों तथा जीवों का संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान का अध्ययन कर उनके संवर्धन व संरक्षण हेतु विशेष उपाय किए जायेंगे ।

6.3.2 पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन योजना –

(अ) वन्य जीवों के सापेक्ष –

(i) जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया के अन्तर्गत जल क्षेत्र में जलजीवों की प्रजातियों का पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन के उपरान्त कतिपय न्यून हो रहे जलजीवों के पुनर्वास की योजना तैयार की जायेंगी।

(ii) संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल निकाय में घड़ियाल/मगर प्रजातियों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जाय।

(iii) संरक्षित क्षेत्र में शरद ऋतु में आने वाले प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या के कारणों का अध्ययन कर उनके शीतकालीन प्रवास की प्रोत्साहन योजना तैयार की

जायेगी। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर योजना को मूर्तरूप दिया जाय —

- (क) प्रवासी पक्षियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्राकृतवास के स्वरूप का अध्ययन तथा तदनुसार वर्तमान प्राकृतवास के विभिन्न अवयवों में गुणात्मक सुधार।
- (ख) पक्षियों के अवैध आखेट पर पूर्ण तथा प्रभावी नियंत्रण।
- (ग) स्थानीय जन मानस में वन्य जीवों विशेषकर पक्षियों के पर्यावरणीय एवं आर्थिक योगदान की भूमिका के प्रति भावनात्मक जागरुकता का संचरण।
- (घ) पक्षियों तथा अन्य जलजीवों के आखेटकों को पकड़वाने वाले मुखविरों को आर्थिक प्रोत्साहन।
- (ब) **स्थापित बस्तियों का पुनर्वास** —संरक्षित क्षेत्र की सीमा में कोई गाँव नहीं है। अतः किसी विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

6.3.3 पारिस्थितिकीय पर्यटन क्षेत्र की योजना —पारिस्थितिकी पर्यटन का ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनायी जायेगी।

- (क) समुचित माध्यमों से पक्षी विहार का प्रचार-प्रसार।
- (ख) संरक्षित क्षेत्र तक पहुँचनेके लिए मुख्य मार्गों से लिंक रोड्स का निर्माण
- (ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर वाच टावरों का निर्माण।
- (घ) संरक्षित क्षेत्र के सन्निकट पर्यटकों के निवास हेतु डारमेटरी, जलपानगृह प्रसाधन सुविधा, नावघाट इत्यादि का निर्माण।
- (ङ) नेचर इन्टरप्रिटेशन सेन्टर तथा कैम्प-साइट का निर्माण तथा संचालन।

6.3.4 जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के चारों ओर पाँच किमी० चौड़ी पट्टी में पड़ने वाला भू-दृश्य क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर इसके अन्तर्गत विभिन्न उन जैविक-अजैविक क्रियाकलापों गतिविधियों का अध्ययन किया जायेगा, जिनसे संरक्षित क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सम्बन्धित विभिन्न कारकों के विश्लेषण के उपरान्त आवश्यक रणनीति का निर्धारण कर उपयुक्त एवं आवश्यक योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाएँ निम्न प्रकार सूचीबद्ध कर आवश्यक रणनीति अपनायी जाये।

1. भू-दृश्य क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विकास कार्यों में नियोजित किया जाय। जीविका तथा अर्थोपार्जन हेतु वैकल्पिक व्यवसाय यथा मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन, मत्स्यपालन इत्यादि में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाकर कच्चेमाल की आपूर्ति तथा बाजार एवं वाणिज्यिक मार्गदर्शन इत्यादि सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाय। इस हेतु विभागीय व्यय पर जैविक खाद/वर्मी कम्पोस्ट प्लांट लगाया जाय।
3. भू-दृश्य क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र को बहने वाले नालों में सिल्टरोधक चेक डैम निर्मित किए जाँय।
4. भू-दृश्य क्षेत्र के मवेशियों से संक्रमण की रोकथाम करने हेतु वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जायेगा।
5. भू-दृश्य क्षेत्र के विद्यालयों में पर्यावरण विषय पर वार्षिक गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा व्याख्यान आयोजित किए जायें।
6. सामान्य जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करने हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

6.3.5 प्रशासनिक योजना –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का जल पारिस्थितिकी तंत्र अत्यन्त सुदृढ़ व गतिशील है। इसके प्रबन्धन हेतु सक्षम प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा तथा संरक्षण संवर्धन हेतु इसके किनारे प्रत्येक पाँच किमी की दूरी पर सुरक्षा वन चौकी स्थापित की जायेगी। प्रत्येक चौकी पर दो सशस्त्र वन कर्मी तथा एक नाविक तैनात रहेंगे।
- (ii) प्रत्येक तीन वन चौकियों पर तैनात वन कर्मियों के कार्यों के अनुश्रवण हेतु एक वन दरोगा की तैनाती होगी।
- (iii) सुरक्षा-संरक्षण एवं संवर्धन तथा अन्य विभिन्न कार्यों के त्वरित निस्तारण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार रेंज की स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) संरक्षित क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण जनपद स्तरीय वन प्रभाग द्वारा किया जाना प्रभावी एवं उपयुक्त होगा।

6.4 उद्देश्यपरक योजनायें – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के प्रबन्धन के प्रमुख उद्देश्यों यथा प्रवासी व आवासी पक्षियों का संरक्षण-संवर्धन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए संरक्षित क्षेत्र का बहुआयामी प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.4.1 प्राकृतवास प्रबन्धन –

संरक्षित क्षेत्र के जल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय, स्वस्थ व गतिशीलता प्रदान करने हेतु यहाँ के प्राकृतवास का प्रबन्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि प्राकृतवास के बहुआयामी विभिन्न अवयवों में असंतुलन पैदा होने से संरक्षित क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र सीधे प्रभावित होकर नष्ट होने लगता है। प्राकृतवास का समुचित प्रबन्धन न होने से वन्य जीवों के भोजन, प्राणवायु, (आक्सीजन) तथा

आश्रय स्थल में कमी होने लगती है। परिणामतः अन्तर्द्वन्द्व बढ़कर विनाश की कगार तक जा पहुँचता है।

6.4.1.1 वन क्षेत्र प्रबन्धन —

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में विचरण करने वाले पक्षियों हेतु संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा किनारे-किनारे मिट्टी के टीले (माउण्ड)/लघु द्वीप बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण किया जायेगा ताकि पक्षियों के बैठने, विश्राम करने, घोंसले बनाने तथा प्रजनन की सुविधा में वृद्धि हो। इस हेतु प्रतिवर्ग किमी क्षेत्र में कम से कम एक द्वीप अवश्य बनाया जाय जिसका ऊपरी क्षेत्र (जलस्तर से ऊपर) कम से कम 50 वर्ग मी० हो। प्रति माउण्ड 5 वृक्ष लगाये जायेंगे।

(ख) प्रतिरोधक क्षेत्र/भू-दृश्य क्षेत्र जो कि संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर पाँच किमी चौड़ी पट्टी में विस्तारित होगा, में भी प्रचुर मात्रा में वनस्पति को संघनित किया जायेगा ताकि संरक्षित क्षेत्र में विचरण करने वाले प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ से भी सम्भव हो सके। भू-दृश्य क्षेत्र में वृक्षों के पातन पर भी विशेष नियंत्रण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चारो ओर 10 मीटर की पट्टी में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपणकर वातावरण के समशीतोष्ण बनाने की योजना सुनिश्चित की जायेगी।

6.4.1.2 घास क्षेत्र प्रबन्धन —

संरक्षित क्षेत्र के किनारे-किनारे प्राकृतिक रूप से उगी वनस्पति तथा घास इत्यादि की चराई हेतु प्रायः समीपवर्ती गाँवों से मवेशी इत्यादि आते रहते हैं। मवेशी यहा आकर चराई के साथ-साथ जलग्रहण तथा स्नान हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से जलजीवों में संक्रमण फैलने का भय बना रहता है। अतः संरक्षित क्षेत्र से बाहर भू-दृश्य क्षेत्र में यथा सम्भव सामुदायिक भूखण्डों पर चारागाह विकसित किए जाने की योजनाओं का संचालन किया जायेगा।

6.4.1.3 जल स्रोत प्रबन्धन –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार एक स्थायी जल निकाय है। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर इसके जलस्तर में परिवर्तन होता रहता है। इस क्षेत्र में सामान्य औसत वर्षा 900 मिमी अभिलिखित की गयी है। इस संरक्षित क्षेत्र का मुख्य जल स्रोत कटहर नाला है जो सरयू/घाघरा नदी से होता हुआ इस जल निकाय में मिलता है। इस क्षेत्र के जल प्रबन्धन में मुख्यतः दो पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है।

1. गाद-प्रतिरोधी प्रबन्धन –

सुरहाताल/जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में आस-पास के भू-दृश्य क्षेत्र से कई छोटे-मोटे नाले आकर मिलते हैं। इन नालों से वर्षा जल के साथ मिट्टी, गाद, बालू इत्यादि बहकर आती है जो निरन्तर इस जल निकाय को उथला कर इसकी जलधारण क्षमता को कम कर रही है। अतः इसे रोकने के लिए निम्न उपाय किए जायेगे।

- (क) इस संरक्षित क्षेत्र के जल-संग्रहण क्षेत्र में भूमि संरक्षण हेतु कृषि क्षेत्रों (खेतों) का समतलीकरण
- (ख) बंजर तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण।
- (ग) संरक्षित क्षेत्र में गिरने (मिलने) वाले समस्त छोटे-बड़े नालों में प्रत्येक 100 मीटर पर पक्के चेकडैम का निर्माण तथा नालों के किनारे बाँस, काँस तथा पतावर-घास का रोपण।

2. जल प्रदूषण निवारक प्रबन्धन –

- (क) प्रतिरोधक क्षेत्र/भू-दृश्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों के विकल्प के रूप में जैविक खादों के उपयोग को प्रतिस्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कृषकों में जैविक खाद के प्रति उन्मुखीकरण करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट

खाद/वर्मी कम्पोस्ट प्लांट स्थापित कराये जाँय तथा कृषको के गोबर गैस प्लांट स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाय।

- (ख) संरक्षित क्षेत्र में जल प्रदूषण स्तर की जानकारी हेतु निरन्तर वैज्ञानिक विधियों से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। विषाक्त रसायनों के निवारण हेतु उपयुक्त उपाय सुनिश्चित किए जायेंगे।

6.4.2 सुरक्षा योजना –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में अवैध आखेट प्रवेश तथा वन्य जीव संरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने हेतु निम्न प्रकार विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए जायेगे।

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर प्रत्येक पाँच किमी की दूरी पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना तथा प्रत्येक चौकी पर दो नियमित सशस्त्र वन कर्मियों दो दैनिक श्रमिक प्रहरी तथा एक नाविक की तैनाती प्रत्येक चौकी के पास नाव घाट का निर्माण।
- (ii) प्रत्येक तीन सुरक्षा चौकियों पर तैनात सुरक्षा बल के आपसी समन्वय आकस्मिक छापेमारी, सामूहिक गश्त तथा अन्य आवश्यक विधिक मामलों के निस्तारण/निष्पादन हेतु एक वन दरोगा की तैनाती।
- (iii) इस वन अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्र के भू-दृश्य क्षेत्र की विषयगत गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए भू-दृश्य क्षेत्र के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
- (iv) संरक्षित क्षेत्र के पूर्ण प्रबन्धन तथा स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार रेंज की स्थापना।
- (v) संरक्षित क्षेत्र को जनपद स्तरीय वन प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जायेगा।
- (vi) अवैध आखेट तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सूचना प्रदान करने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था।

- (vii) भू-दृश्य क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में इको समितियों की स्थापना।
- (viii) क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा विधिक मामलों की समीक्षा तथा पुलिस से निरन्तर सम्पर्क व सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4.3 अग्नि सुरक्षा योजना –

संरक्षित क्षेत्र में गर्मी के मौसम में बीच बीच में उथली भूमि जल से बाहर आ जाती है और उस झाड़ झंखाड़ तथा बड़ी-बड़ी घास उग कर सूख जाती है। इसमें आग लगने की सम्भावना रहती है। अतः संरक्षित क्षेत्र में अवैध प्रवेश पर कड़ा प्रतिबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4.4 वन्य जीव की मवेशियों से संक्रमण की रोकथाम –

- (i) संरक्षित क्षेत्र के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र के मवेशियों द्वारा चराई करने तथा संरक्षित क्षेत्र के जल में प्रवेश करने से जल जीवों के विभिन्न संक्रमणों से ग्रस्त हो जाने की आशंका बनी रहती है। अतः इन मवेशियों के चारण हेतु भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में लघु चारागाहों को विकसित किया जायेगा। तथा ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग गाँवों में तालाबों का निर्माण कराया जायेगा।
- (ii) गाँव स्तर पर स्थापित इको समितियों के माध्यम से गोष्ठियाँ व कार्यशालाएँ आयोजित कर ग्रामीणों में पर्यावरण तथा वन्य जीवों के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जायेगा।
- (iv) सन्निकटवर्ती गाँवों के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- (v) **मानव संसाधन विकास योजना –**

संरक्षित क्षेत्र पूर्व में आस-पास के निवासियों की आजीविका का प्रमुख संसाधन क्षेत्र था, परन्तु पक्षी विहार गठन के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के कारण इन संसाधनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है, लोगों की निजी जोत भी क्षेत्र की सीमा में आंशिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण

उनकी कृषि में कमी और पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध के कारण मानव व वन्य जीवों में टकराव हो जाना स्वाभाविक ही है और आस-पास के निवासियों में मधुरता नहीं है। इस प्रकार के टकराव को कम करने के लिए निम्न रणनीति अपनायी जायेगी।

1. पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम चलाये जायेगे।
2. जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम चलाये जायेगें।
3. वन्य जीवों द्वारा मानव व उनकी सम्पत्ति क्षति को नियंत्रित करना होगा।
4. कोर जोन व बफरजोन के मध्य सीमा पर बन्धा के किनारे चेनलिंग फेसिंग की जानी चाहिए।

अध्याय—7

पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रचार एवं पर्यावरण संरक्षण शिक्षा

7.1 परिचय —

मनोरंजन के उपलब्ध संसाधनों में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन में भी सहायता करता है। पारिस्थितिकी पर्यटन का संरक्षण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सुरहाताल पक्षी विहार काफी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है इस ताल में प्रवासी पक्षियाँ जाड़े में आती हैं। जिसको देखने के लिए स्थानीय लोग आते हैं। क्षेत्र का विकास कम होने के कारण अभी विदेशी लोग नहीं के बराबर आते हैं। यदि क्षेत्र का समुचित रूप से विकास किया जाय तो शरदऋतु में तिब्बत, चीन साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में और वृद्धि होगी। इस प्रकार यह पक्षी विहार देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षक के प्रमुख केन्द्रों में एक होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा।

7.2 उद्देश्य —

पक्षी विहार में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों में मनोरंजन के साथ ही साथ उनका ज्ञानवर्धन करते हुए संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाना एवं वन्य जीव विहार की जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन के निम्न उद्देश्य होंगे।

1. पर्यटकों को पक्षी विहार के प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव कराना।
2. पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र में उपस्थित पक्षियों एवं वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।
3. पर्यटकों को प्रोत्साहित करते हुए जैव विविधता संरक्षण कार्य में सहयोग प्राप्त करना।

4. पक्षी विहार के क्षेत्र को प्राकृतिक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करना, जिससे पर्यटकों के माध्यम से संरक्षण के प्रति जनता को जागरूक बनाया जा सके।
5. पक्षी विहार से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार करना।

7.3 पर्यटन क्षेत्र –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में मान्य होगा परन्तु पर्यटकों को जल क्षेत्र में प्रवेश तथा भ्रमण निम्न उपबन्धों के अधीन होगा –

- (i) संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को केवल विभाग द्वारा अनुबन्धित नौकाओं में ही भ्रमण की अनुमति होगी।
- (ii) पर्यटकों को शस्त्र लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) किसी पक्षी या पक्षी समूह से निकटतम 100 मी० तक ही जाने की अनुमति होगी।

7.4 पक्षी विहार व्याख्या कार्यक्रम –

पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन के अतिरिक्त प्रकृति एवं पर्यावरण के विभिन्न आयामों से परिचित करवाकर उनका ज्ञानवर्धन करना सार्थक उपलब्धि होगी। विभिन्न वन्य जीवों का लावण्य, सौन्दर्य, पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण में उनका स्थान व योगदान इत्यादि सभी कुछ जान लेने के बाद पर्यटकों के माध्यम से सम्पूर्ण मानव समाज की चेतना को एक नयी दिशा, नये प्रयासों की ओर उन्मुख किया जाना अधिक सरल होगा। अतः यहाँ आने वाले पर्यटकों के वन्य जीव उन्मुखीकरण हेतु इस पक्षी विहार के माध्यम से निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा—

- (i) स्थानीय विद्यालयों में प्रतिमाह वनाधिकारियों द्वारा वन्य जीव व्याख्यान व वन्य जीव चलचित्रों का प्रदर्शन किया जायेगा।
- (ii) समाचार पत्रों में पक्षी विहार तथा वन्य जीव विषयक सामग्री का प्रकाशन।

- (iii) संरक्षित क्षेत्र/पक्षी विहार के आस-पास मार्गों के किनारे, गाँवों में, निकटवर्ती शहीदपार्क, बलिया नगर तथा रेलवे स्टेशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्थलों पर वन्य जीव तथा पक्षी विहार की विशिष्टताओं का प्रदर्शन करने वाले चित्रांकित लेखों से सज्जित आकर्षक बोर्ड तथा होर्डिंग्स की स्थापना।
- (iv) पक्षी विहार के सन्निकट शहीद पार्क के पास “प्रकृति एवं वन्य जीव व्याख्या केन्द्र” की स्थापना। इन्टरप्रिटेशन सेन्टर पर वन्य जीवों के विभिन्न पक्षों का प्रदर्शन करने वाली सामग्री, वन्य जीव ट्राफी, साहित्य तथा वन्य जीव सम्बन्धित चलचित्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी।

7.5 सांगठनिक ढाँचा एवं प्रबन्धन –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय स्तर पर समुचित तंत्र की स्थापना के पश्चात् निहित लक्ष्यों के अनुसार प्रबन्ध कार्यक्रम लागू किए जायेंगे।

1. पक्षी विहार के सन्निकट शहीदपार्क को संरक्षित क्षेत्र से सम्बद्ध कर वहाँ इको-पर्यटन कार्यालय की स्थापना की जाय जहाँ पर्यटकों की समस्त सुविधाओं सूचनाओं एवं अन्य आवश्यक कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था हो। स्वयं शहीद पार्क को राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के तुल्य विकसित कर इसे पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया जाय। इसी परिसर में नेचर इन्टरप्रिटेशन सेन्टर की भी भव्य व्यवस्था की जायेगी।
2. स्थानीय स्तर पर मल्लाहों एवं नाविकों को अनुबन्धित कर उन्हें वन्य जीव विषय में प्रशिक्षित कर संरक्षित क्षेत्र में नियोजित किया जायेगा।
3. स्थानीय शिक्षित युवाओं को वन्य जीव विषय में प्रशिक्षित कर उन्हें पक्षी विहार के अन्तर्गत गाइड्स के रूप में नियोजित किया जायेगा।
4. पर्यटकों के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु शहीद पार्क के पास संरक्षित क्षेत्र के किनारे मुख्य नियंत्रक द्वारा होगा जहाँ निर्धारित प्रवेश शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं के

पश्चात् विभागीय अथवा अनुबन्धित नौकाओं में गाइड्स के साथ पर्यटक पक्षी विहार में भ्रमण हेतु प्रवेश कर सकेंगे।

5. पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व प्लावन सुरक्षा आवरण (safety jackets) की सुविधा उपलब्ध की जायेगी।
6. इको-पर्यटन कार्यालय प्रभारी स्थानीय पर्यटन विभाग के निरंतर सम्पर्क में रहकर पर्यटकों के आवागमन तथा विश्राम हेतु आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहयोग सुनिश्चित करेगा।
7. इको-पर्यटन प्रभारी उप वन रेंजर स्तर का होगा जो उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त पक्षी विहार एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार, वन्य जीव व्याख्यान केन्द्र, वन्य जीव संग्रहालय इत्यादि सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रबन्धन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

7.6 मुद्दे तथा समस्याएँ — जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको-पर्यटन की सुदृढ़ आधार शिला की स्थापना एवं विकास में प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं —

1. पक्षी विहार में समुचित पर्यटन सुविधा का नितान्त अभाव है।
2. पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय में सहभागिता का न होना।
3. स्थानीय लोगों की पर्यटन की दृष्टिकोण से प्रचार-प्रसार में कमी।
4. पर्यटन विकास से सम्बन्धित विभिन्न शासकीय विभागों में आपसी समन्वय का न होना।
5. संरक्षित क्षेत्र की भूमि का बन्दोबस्त पूर्ण न हो पाने के कारण स्थानीय जन समुदाय की प्रतिक्रिया का अनुकूल न होना।
6. संरक्षित क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रबन्धन के अभाव में प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या।

7. वन्य जन्तु प्रशिक्षित गाइड्स का अभाव
8. इको-पर्यटन के प्रबन्धन हेतु विभागीय इकाई/संगठन अन्य जनपद में स्थित होना वस्तुतः पारिस्थितिकी विकास तथा पारिस्थितिकी पर्यटन परस्पर पूरक होने के कारण दोनों पक्षों के प्रभावी प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर नियंत्रण इकाई का होना आवश्यक है।

7.7 वांछित स्तरीय पर्यटन हेतु रणनीतियाँ तथा प्राप्ति हेतु उपाय –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र के विस्तार हेतु व्यापक तथा मौलिक प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इस हेतु आधार भूत रणनीतियों का निर्धारण कर तदनुसार संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बहुपक्षीय विकासोन्मुख प्रबन्धन किया जायेगा।

7.7.1 पर्यटन गतिविधियों का विविधीकरण/विस्तारीकरण –

1. जनपद स्तरीय पर्यटन विभाग कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए सूचनाओं का आदान [प्रदान](#)।
2. प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों द्वारा संरक्षित क्षेत्र भ्रमण तथा स्थानीय स्तर पर गोष्ठी का आयोजन।
3. संरक्षित क्षेत्र तथा वन्य जीव विषयक साहित्य/सामाग्री का प्रकाशन तथा विभिन्न राजकीय विभागों व विद्यालयों में निःशुल्क वितरण।
4. स्थानीय, जनपद तथा राज्य की राजधानी में संरक्षित क्षेत्र पक्षी बिहार के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स की स्थापना।
5. स्थानीय नागरिकों हेतु देश-प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के भ्रमण हेतु टूर-पैकेज इत्यादि की व्यवस्था।
6. स्थानीय ददरी मेले में वन्य जीव प्रदर्शनी का आयोजन।

7. जनपद के अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों को इको-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना।

7.7.2 आधारभूत संरचना की आवश्यकता तथा विकास –

1. संरक्षित क्षेत्र की लम्बित बन्दोबस्त कार्यवाही का पूर्ण किया जाना।
2. संरक्षित क्षेत्र का भौतिक विकास जिसमें संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर सीमा पर दस मीटर चौड़ी परिमिति में विभिन्न प्रजातियों के पादपों से सम्पन्न हरित पट्टी की स्थापना, अन्तर्जलीय द्वीपों (माउण्ड्स) व वाच टावरों का निर्माण जल क्षेत्र की सफाई तथा सीमा पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना।
3. संरक्षित क्षेत्र के सन्निकट इको पर्यटन कार्यालय, व्याख्यान व प्रचार प्रसार केन्द्र, वन्य जीव संग्रहालय, पुस्तकालय, पर्यटक आवास गृह, जलपान गृह व प्रसाधन इत्यादि की स्थापना।
4. स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवको/युवतियों को पर्यावरण तथा वन्य जीव प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर उन्हें नाविक, वन्य जीव गाइड, वाचर, वाहन चालक तथा संरक्षित क्षेत्र में अन्य पदों पर नियोजन।
5. संरक्षित क्षेत्र की पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक विकास हेतु अध्ययन व शोध केन्द्र की स्थापना।

7.7.3 सड़क एवं मार्ग पर्याप्त हैं – मुख्य मार्गों से संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर स्थित चौकियों तक लिंक मार्गों का निर्माण किया जायेगा।

7.7.4 स्थानीय समुदायों की भागीदारी – संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा।

- (i) संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती गाँवों के मल्लाह तथा नाविक समुदाय के लोगों को वन्य जीव तथा विशेष रूप से पक्षियों के विषय में लघु प्रशिक्षण देकर संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु अनुबन्धित कर रोगजार प्रदान किया जायेगा।

- (ii) स्थानीय क्षेत्र के शिक्षित युवकों को वन्य जन्तु में लघु प्रशिक्षण देकर उन्हें गाइड्स के रूप में पंजीकृत कर संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण कराने के कार्यों में नियोजित किया जाय।
- (iii) संरक्षित क्षेत्र के आस-पास पर्यटकों की सुविधा हेतु जलपान तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय हेतु दुकाने लगाने में स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाय।
- (iv) इको समितियों से विचार विमर्श कर संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद के अन्य स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने की योजना तैयार की जायेगी।

7.7.5 संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम — जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को वन एवं वन्य जीव तथा स्थानीय जल क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में व्यापक व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर उन्हें मानसिक धरातल पर इस पक्षी विहार के साथ भावनात्मक अनुभूति के साथ जोड़ा जा सके। इस हेतु निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

1. पक्षी विहार के आस-पास वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण विषयक लेख तथा चित्र प्रदर्शन होर्डिंग्स तथा बोर्ड स्थापित किये जायेंगे।
2. पक्षी विहार के सन्निकट नेचर इण्टरप्रिटेशन सेन्टर/व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाय जहाँ प्रकृति तथा वन्य जीव सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का साकार, समूर्त चित्रात्मक साहित्य तथा चलचित्रों के माध्यम से पर्यटकों का मनोरंजन कर शिक्षित एवं जागरुक बनाया जा सके। इस केन्द्र को नवीनतम प्रचार-प्रसार उपकरणों से सुसज्जित कर प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

7.8 संचालन अनुश्रवण व मूल्यांकन — जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको पर्यटन पक्ष के रचनात्मक विकास हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। इस हेतु किए गए किये जा रहे प्रयासों तथा पक्षी बिहार के विषय में आगन्तुकों व पर्यटकों तथा समाज के अन्य वर्गों से प्राप्त सुझाव/शिकायतों का भी रचनात्मक

उपयोग किया जाना चाहिए। अतः पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का संग्रह किया जायेगा।

1. पक्षी विहार आने वाले पर्यटकों की माहवार संख्या, पर्यटकों की राष्ट्रीयता, शिक्षा, आयु, लिंग इत्यादि का अभिलेख रखा जायेगा।
2. प्रवेश तथा भ्रमण सुविधा उपलब्ध कराने से प्राप्त मासिक आय विवरण अभिलिखित किया जायेगा।
3. पर्यटकों की शिकायतों तथा सुझाव हेतु पंजी रखी जायेगी जिसमें अंकित विवरण की समीक्षा का संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

अध्याय —8

इकोडेवलपमेन्ट (पारिस्थितिकी विकास)

- 8.1 परिचय** — संरक्षित क्षेत्र के अन्दर कोई गाँव नहीं है परन्तु आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र (बफर जोन) में कुल 44 गाँव हैं। इन गाँवों के निवासियों में से अधिकांश के पास आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने के कारण इनकी आंशिक निर्भरता का स्रोत संरक्षित क्षेत्र ही है। इनमें से लगभग 113 परिवारों के स्वामित्व की भूमि संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत ही पड़ती है और लगभग 2928 व्यक्ति अन्य प्रकार से संरक्षित क्षेत्र के प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर हैं। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र पर जीविका जनित दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन गाँवों में इको डेवलपमेन्ट कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाया जाना आवश्यक होगा।
- 8.2 उद्देश्य** — जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक स्तरों के अध्ययन विश्लेषण के पश्चात् इस क्षेत्र में इकोडेवलपमेन्ट (पारिस्थितिकी विकास) कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों से प्रेरित है —
- (i)** स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कर संरक्षित क्षेत्र पर उनकी निर्भरता कम करना और इस प्रकार उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रतिसकरात्मक रूप से तैयार करना।
 - (ii)** अल्प आय तथा निर्धन बस्तियों में सुविधा कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करना।
 - (iii)** पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु कृषि फसलों में जैविक उर्वरकों/कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
 - (iv)** समाज की नई पीढ़ी विशेषकर छात्र वर्ग को पक्षी विहार से विभिन्न रूपों में जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विकसित करना।

8.2.1 स्वाट विश्लेषण तथा विशिष्ट मुद्दे –

जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास कुल 44 गाँव हैं। जिनमें आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तरों के आंकड़े रिपोर्ट परिशिष्ट-3 में संलग्न हैं। आकड़ों के अध्ययन-विश्लेषण के उपरान्त निम्न निष्कर्ष परिलक्षित होते हैं—

1. प्रायः सभी गाँवों में उच्च, मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोग बढ़ते क्रम में सम्मिलित हैं।
2. जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों के अभाव तथा बेरोजगारी की आम समस्या के कारण बहुत से लोग संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। युवा वर्ग के लोग, बेरोजगार लोग, हताशा में अवैध आखेट के दुस्साहस का भी प्रयास करते हैं।
3. संसाधनों के अभाव व आर्थिक दुर्बलता के कारण समुदाय का एक बड़ा वर्ग पर्याप्त शैक्षणिक स्तर तक नहीं पहुँच सका है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक उन्मुखीकरण की स्थिति नहीं है। वस्तुतः संरक्षित क्षेत्र के प्रति स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।
4. संरक्षित क्षेत्र पक्षी विहार के आस पास का क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण मवेशियों की संख्या भी अधिक है। संक्रामक रोग फैलने से मवेशियों की क्षति होने से एक ओर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो दूसरी तरफ संरक्षित क्षेत्र के पक्षियों व अन्य जलजीवों में संक्रमण फैलने की सम्भावना रहती है।

8.3 नीति व संस्थागत ढाँचा – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र को प्रबन्धन हेतु प्रमुखतः दो भागों में विभक्त किया गया है। संरक्षित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत मुख्य भाग तथा संरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थित लगभग 44 गाँवों में भू-दृश्य क्षेत्र/प्रतिरोधक क्षेत्र की भाँति प्रबन्धन कार्य किए जायेंगे। भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थितियों को आँकड़ाबद्ध कर उसका अध्ययन व विश्लेषण कर यह आकलन सम्भव हो सका है कि इन स्थानीय समुदायों को विकास के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से जोड़ा जाना चाहिए।

भू-दृश्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग-4 शासकीय पत्र संख्या-मू0ओ084/14-प0भू0 99-63/97 दिनांक : 21 मई, 1999 द्वारा जारी शासकीय संकल्प की रूप रेखा के क्रम में निम्न स्तरों पर पारिस्थितिकी विकास समितियों की स्थापना की जायेगी-

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति
2. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति
3. संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थिति विकास समिति।

8.4 (क) प्रमुख रणनीतियाँ – इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्णित उद्देश्यों के क्रम में प्रमुख रूप से द्विधारीय रणनीति बनायी जायेगी। इसमें व्यापक रणनीति तथा ग्राम स्तरीय स्थल विशिष्ट रणनीतियां सम्मिलित होगी।

(ख) स्थानीय विभिन्न समुदायों विशेषकर मल्लाह वर्ग के ग्रामीणों द्वारा पक्षी विहार के एक बड़े क्षेत्र में जंगली चावल/तिन्ना (Wild Rice) की खेती की जाती है। उक्त चावल के औषधिक महत्व के कारण इसकी देश के सम्पन्न वर्ग तथा विदेशों में पर्याप्त माँग है तथा इसकी ऊँची कीमत पर बिक्री की जा सकती है। अतः इको समितियों के माध्यम से इस चावल के उत्पादन एवं वाणिज्यिक प्रोत्साहन हेतु एक योजना बनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत उत्पादन से विक्रय तक सभी आवश्यक स्तरों पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन हेतु उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर संरक्षित क्षेत्र के साथ सकारात्मक भागीदारी का अवसर दिया जायेगा।

8.4.1 व्यापक रणनीति –

संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव कम करने के लिए आवश्यक है कि वफरजोन एवं उससे बाहर के क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाय। ऐसे क्षेत्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाय एवं वनों की सुरक्षा में उनको भागीदार बनाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। इसके

लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठियां आयोजित की जाय तथा वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण की महत्ता से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाय।

समुचित इकोडेवलपमेंट कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दुओं को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय –

1. स्थापित इको समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्रों तथा सामुदायिक बंजर भूमि में भूमि संरक्षण कार्य कराये जाँय।
2. संरक्षित क्षेत्र की ओर बहने वाले नालों पर पक्के चेक डैमों का निर्माण तथा नालों के किनारे चारा-पत्ती प्रजाति के वृक्षों का रोपण कार्यक्रम चलाया जाय।
3. शैक्षिक विकास हेतु इको समितियों के माध्यम से गरीब क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री का वितरण।
4. पालतू मवेशियों का वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम।
5. सामुदायिक भूमि पर लघु चारागाह हों व तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों का पुनरुद्धार कार्यक्रम।
6. अल्प आय व निर्धन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम
7. ग्रामीण क्षेत्रों व विद्यालयों में पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी गोष्ठियाँ व कार्यशालाओं का आयोजन
8. संरक्षित क्षेत्र में नियोजन/नौकरी हेतु भू-दृश्य क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.5 ग्राम स्तरीय विशिष्ट रणनीति –

- (क) इकोडेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के बाहर 5 कि०मी० के दायरे में स्थित 44 गाँवों में इकोडेवलपमेंट कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए स्थल-विशिष्ट सूक्ष्म योजना बनायी जायेगी। प्रत्येक गाँव में पारिस्थितिकीय विकास सभा का गठन किया जायेगा। इस सभा में गाँव के प्रत्येक परिवार का केवल एक व्यक्ति सदस्य

के रूप में नामित किया जायेगा जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें होंगी। गाँव की पारिस्थितिकी विकास सभा द्वारा इकोडेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए एक समिति का चुनाव किया जायेगा। जिसको ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति (V.D.C.) कहा जायेगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे—

1. अध्यक्ष
2. पुरुष सदस्य
3. पुरुष सदस्य
4. महिला सदस्य
5. महिला सदस्य

उपरोक्त सदस्यों में एक सदस्य पिछड़ी जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा। यदि महिला अध्यक्ष के पद पर चुनी जाती है तो अन्य सदस्यों में केवल एक महिला चुनी जायेगी। इकोडेवलपमेंट से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग से बनाये जायेंगे। माइक्रोप्लान बनाने के लिए एक “स्पीयर हेड” टीम का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/व्यक्ति शामिल होंगे —

1. सहायक वन संरक्षक।
2. वन क्षेत्राधिकारी।
3. वन विद्
4. एन0जी0ओ0 पुरुष।
5. एन0जी0ओ0 महिला।

स्पीयर हेड टीम गाँव में बैठक कर वहाँ की स्थिति का अध्ययन कर ग्रामीणों से वार्तालाप कर उनके सहयोग एवं सुझाव के आधार पर माइक्रोप्लान तैयार करेगी तथा उस माइक्रोप्लान के आधार पर पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(ख) ग्राम स्तर पर निर्धारित रणनीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 50 प्रतिशत परिवारों के विकास हेतु निम्न कार्यों को सम्मिलित कर संचालित किया जायेगा –

क्र० सं०	वर्ष	ग्राम	प्रस्तावित कार्य							
			कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2020–21	शिवपुर, अख्तियारपुर, सिधौली, नारायणपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	87
2	2021–22	औंधी, बनियापुर, सूर्यपुरा, सोनपुरकला, मेदपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	95
3	2022–23	राजपुर,	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	100
4	2023–24	अनकटपुर, कैथवली, साहोडीह	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	92
5	2024–25	राजपुर, बसन्तपुर, बडसरी, भीखपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	96
6	2025–26	श्रीपुर, मैरीटार, फुलवरिया, बसुदेवपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	100
7	2026–27	मैरीटार	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	97

8	2027–28	कोलखुर्द, सलेमपुर, बभनौली	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	99
9	2028–29	परसपुर, बभनौली, सरया	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	105
10	2029–30	डुमरी	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	97

संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य यथा प्राकृतवास प्रबन्ध, इकोपर्यटन, सुरक्षा एवं विकास कार्यों में उपरोक्त अन्तिम स्तम्भ में उल्लिखित परिवारों को रोजगार प्रदान किया जायेगा।

8.6 ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का एकीकरण –

संरक्षित क्षेत्र के गाँवों हेतु बनायी गयी स्थल विशिष्ट सूक्ष्म योजनाओं में ग्राम्य विकास के विभिन्न आयामों को समन्वित कर सम्यक विकास की रुपरेखा तैयार की जायेगी। इसमें ग्रामीणों में व्यवसाय, कुटीर उद्योगों की स्थापना, भूमि संरक्षण, तालाबों का निर्माण, चारागाह विकास, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि विभिन्न पक्षों के सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित विभागों की जिला स्तरीय इकाइयों को इस दिशा में सक्रिय किया जायेगा। इस प्रकार क्षेत्र में व्यापक विकास का स्तर तथा शैक्षणिक स्तर बढ़ने से एक ओर संरक्षित क्षेत्र पर स्थानीय लोगों की निर्भरता समाप्त होगी तो दूसरी ओर संरक्षित क्षेत्र के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव स्थापित होगा।

8.7 क्रियान्वयन रणनीतियाँ – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत व समीपस्थ गाँवों में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की नीति अपनायी जाय। अतः जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में पारिस्थितिकी

विकास के कार्यक्रमों के सक्रिय व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनायी जायेगी –

8.7.1 पारिस्थितिकी विकास समितियों की स्थापना – उत्तर प्रदेश शासन पत्र सं० यू०ओ० 84 / 14-प०भू०-99 / 63-97 वन अनुभाग-4 दिनांक : 21 मई 1999 द्वारा जारी शासकीय संकल्प की रुपरेखा के क्रम में निम्न समितियों की स्थापना की जायेगी।

- (क) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति।
- (ख) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति।
- (ग) संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति।

8.7.2 “शासकीय संकल्प की रुप रेखा” – उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय –विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यू०ओ०-84 / 14-प०भू०-99-63 / 97, वन अनुभाग-4, दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा जारी में कार्य संचालन हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार उपरोक्त समितियों का कार्य संचालन होगा।

पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलाप – उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी विकास हेतु शासन द्वारा जारी संकल्प की रुप रेखा के क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

8.7.3 माइक्रोप्लानिंग – संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर 5.00 किमी के दायरे में (भू-दृश्य क्षेत्र) स्थित गाँवों में इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रत्येक गाँव का माइक्रोप्लान तैयार किया जायेगा। माइक्रोप्लान की तैयारी की प्रक्रिया में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा—

1. ग्रामवासियों की माइक्रोप्लान की तैयारी में भागीदारी व सक्रिय भूमिका।
2. माइक्रोप्लान की तैयारी क्रियाओं व प्रस्तावों में पारदर्शिता।
3. संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता।

4. इको विकास समिति के गठन द्वारा संस्थागत ढाँचे की स्थापना।
5. ग्रामीणों व अन्य संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त योगदान।
6. स्थानीय प्रयास और आत्म-निर्भरता को बढ़ावा।

8.8 निवेश तथा धनस्रोत की रणनीति – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार क्षेत्र के पारिस्थितिकी विकास हेतु तैयार किए गए माइक्रोप्लान में प्रस्तावित किए गए कार्यों की प्रकृति तथा मात्रा ग्राम विशेष के आकार तथा आर्थिक समाजिक संरचना के ऊपर निर्भर होगी। गाँव की कृषि व सामुदायिक भूमि, निकटवर्ती वन क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र को नियोजन तथा प्रबन्धन की दृष्टि से एक इकाई के रूप में चिन्हित कर इकोडवलपमेन्ट के कार्यक्रमों को माइक्रोप्लान में सम्मिलित किया जायेगा।

8.8.1 माइक्रोप्लान की लागत का आधार परिवार होगा –

- (अ) माइक्रोप्लान की लागत का आधार परिवार होगा। निवेश हेतु उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम रु0 5000.00 की धनराशि का प्राविधान होगा। यह प्राविधान माइक्रोप्लान के कार्यों के निर्धारण हेतु है। इसका यह आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक परिवार को नकद अथवा लाभ के रूप में रु0 5000.00 वानिकी परियोजना से उपलब्ध कराये जाने हैं। एक गाँव में औसतन 60 परिवारों के आधार पर रु0 3.00 लाख का मानक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छोटे गाँव के लिए रु0 3.00 लाख से कम व बड़े गाँव के लिए रु0 4.00 लाख तक का प्राविधान किया जा सकता है।
- (ब) माइक्रोप्लान में अपनाये जा रहे सभी इकोडवलपमेन्ट कार्यों की लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा (25 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। सामुदायिक कार्यों के लिए यह योगदान सामग्री (भूमि आदि) श्रम अथवा कुछ अवधि विशेष के लिए अपने अधिकारों का स्थगन आदि रूप में हो सकता है। व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा लागत का कम से कम 25 प्रतिशत व्यय स्वयं वहन किया जायेगा। किसी एक व्यक्तिगत लाभार्थी को किसी भी दशा में इको विकास समिति के कुल पूँजी निवेश का 5 प्रतिशत से अधिक की धनराशि नहीं दी जायेगी।

(स) व्यक्तिगत लाभार्थी को सहयोग अग्रिम या ऋण के रूप में दिया जायेगा। समिति द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि वापसी पर समिति के कोष में जमा की जायेगी, जिससे रिवाल्विंग फण्ड स्थापित हो सके। इको विकास समिति ऋण की शर्त व ब्याज की दर तय करने के लिए स्वतन्त्र होगी, परन्तु उसे ऋण माफ करने का अधिकार नहीं होगा।

8.8.1 इको विकास के लिए संरक्षित क्षेत्र से बाहर कराये जाने वाले कार्य –

1. संरक्षित क्षेत्र के बाहर बफर जोन में ईंधन चारा के प्रजातियों का रोपण।
2. गाँव में तथा बफर जोन में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
3. मवेशियों का टीकाकरण।
4. गाँव वासियों को पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प की स्थापना, कूप निर्माण आदि।
5. ग्रामवासियों को फलदार प्रजातियों के पौध वितरण।
6. ईंधन की खपत कम करने के लिए उन्नति किस्म का चूल्हा एवं प्रेशर कुकर का वितरण।
7. ग्रामवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोना-पत्तल बनाना, मधुमक्खी पालन, मत्स्य व्यवसाय आदि का प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराना।
8. प्रत्येक वर्ष के लिए गाँवों की संख्या चयन कर गाँव की बैठक कर उपरोक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव की प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं व वन्य जीव के संरक्षण एवं विकास को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम के लिए रु0 5.00 लाख तक का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसमें प्रथम वर्ष 3.00 लाख व द्वितीय वर्ष रु0 2.00 लाख का कार्य प्रस्तावित किया जायेगा।

8.8.2 इकोविकास हेतु ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक और प्रयास “स्वयं सहायता समूह”। स्थापित किए गए माइक्रोप्लान में प्रत्येक गाँव में तीन स्वयं सहायता समूहों के संचालन तथा वित्तपोषण की रुपरेखा का समावेश सार्थकतापूर्ण कदम होगा।

- 8.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन** – इको डेपवलपमेंट के अन्तर्गत माइक्रोप्लान के आधार पर विकास कार्यक्रम चलाना एक नया प्रयोग है। इस कार्यक्रम की सफलता ग्रामीणों के सहयोग एवं उनके योगदान पर निर्भर करती है, क्योंकि माइक्रोप्लान के वजट के कुल धनराशि का 25 प्रतिशत अंश ग्रामीण द्वारा अंशदान के रूप में देना है। इसके अलावा कार्यक्रम को सही ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें तकनीकी सहयोग एवं जानकारी की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में चलाये जाने वाले कार्यक्रम का समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं उनका मूल्यांकन आवश्यक है। इनका मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण प्रभाग स्तर से किया जायेगा।
- 8.9.1** ग्राम तथा संरक्षित क्षेत्र स्तरीय समितियों के स्तर पर आय-व्यय का मासिक व वार्षिक लेखा-जोखा रखा जायेगा।
- 8.9.2** मासिक त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती रहेगी।

अध्याय—9

शोध, अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण

9.1 महत्व — बलिया जनपद के अत्यन्त प्राचीन सुरहाताल को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार/संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किए जाने की वास्तविक सार्थकता इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन, अध्ययन के जरिए इसके वर्तमान स्वरूप को पहचान कर इसकी सक्रियता, गतिशीलता को मौलिक स्तर पर लौटाकर ले आने में है। इस विशाल जल क्षेत्र में एक व्यापक जल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित है, जिसमें विभिन्न जल वनस्पतियों जल-जीवों तथा प्रवासी-अप्रवासी पक्षियों की हिस्सेदारी तो है ही साथ में स्थानीय जैव-अजैव घटकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

9.1.1 नम भूमि क्षेत्रों में शोध कार्य कभी प्राथमिकता से नहीं किए गए, परन्तु विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संरक्षण निकाय, नम भूमियों व जल-पक्षियों के संरक्षण में रुचि ले रहे हैं।

इसी क्रम में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्रीय सोसायटी द्वारा भारत में नम भूमियों के सूचीबद्ध करने में सहयोग किया जा रहा है। वन्य जीव प्रबन्ध में शोध और अनुश्रवण बहुत कम क्षेत्रों में हुआ है। इस दिशा में नाम मात्र की प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण नीति, स्पष्ट उद्देश्यों, प्राथमिकताओं का अभाव तथा अपर्याप्त कोष सहायता है। शोध कार्य केवल जैविक क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक तथा प्रबन्ध क्षेत्र में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शोध से बेहतर प्रबन्धन में सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए आधारभूत आंकड़े एकत्र कर भविष्य में प्रबन्ध हेतु गाइड लाइन तैयार की जायेगी। क्षेत्र का पर्याप्त संरक्षण न होने के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं। जिनका प्रभाव पक्षी वर्ग की संख्या तथा उनकी संख्या संरचना पर पड़ रहा है इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के क्रम में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में शोध कार्य एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

9.2 उद्देश्य (Objectives) –

1. वनस्पतियों, प्राणियों एवं झील के जल चक्र के अन्तर सम्बन्धों का आँकलन करना।
2. संरक्षित क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की सूची तैयार करना।
3. संरक्षित क्षेत्र के महत्वपूर्ण वनस्पतियों एवं जीवों के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन।
4. संरक्षित क्षेत्र में कुछ पक्षियों के प्रजनन सफलता एवं प्रजाति संरचना पर प्राकृतवास संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन।
5. प्राप्त आँकड़ों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु प्रबन्ध योजना को संशोधित करना।
6. भविष्य में अन्य जल स्रोतों के पक्षी अभ्यारण में विकास हेतु संरक्षित क्षेत्र को प्रतिदर्श रूप में तैयार करना।

9.3 शोध प्राथमिकतायें –

शोध हेतु महत्वपूर्ण निम्न विषयों को अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा।

(अ) पर्यावरण –

1. जल विज्ञान
2. मौसम विज्ञान
3. जल के भौतिक रासायनिक गुण

(ब) वनस्पति –

1. प्लैक्टन
2. प्राथमिक उत्पादकता
3. जैव वनस्पति प्लैक्टनों की जैव मात्रा व समुदाय में ऋत्तिक तथा वार्षिक परिवर्तन।

(1) जलीय वनस्पति –

1. जलीय पौधे की जैव मात्रा में ऋत्विक एवं वार्षिक विभिन्नताएं।
2. जलीय वनस्पति की प्रजाति वैविध्य एवं परिवर्तन।
3. जलकुम्भी, पटैरा, मोथा, बेहया, कार्निया के उन्मूलन का पक्षी समष्टि पर प्रभाव।

(2) सरीसृप – संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण हेतु घड़ियाल/मगर का पुनर्वास।

(3) पक्षीवर्ग –

1. जलीय पक्षियों के समष्टि का अनुश्रवण।
2. उप निवेशीय पक्षियों के प्रजातियों (स्पाट बिल, इगरेट, आइबिस) उप निवेशन की दर।
3. कुछ महत्वपूर्ण बत्तख, स्टार्क और सारस प्रजातियों द्वारा प्राकृतिवास का उपयोग।

रिसर्च स्टाफ – शोध कार्यो को संचालित करने हेतु तीन शोध वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी –

1. पक्षी वैज्ञानिक
2. सरोवर वैज्ञानिक
3. पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक

उपकरण –

(अ) प्रयोगशाला उपकरण – प्रयोगशाला उपकरणों में निम्न उपकरण आवश्यक है –

1. कम्पाउण्ड माइक्रोस्कोप
2. इनवर्टेड माइक्रोस्कोप
3. डिसेक्शन माइक्रोस्कोप
4. आक्सीजन एनालइजर
5. वी0ओ0डी0 इनक्यूबेटर

6. रेफ्रीजरेटर

7. केमिकल्स

फील्ड उपकरण – निम्न उपकरणों की आवश्यकता होगी –

1. टेलीस्कोप
2. वाइनाकुलर
3. जूम
4. टेलिलेन्स सहित कैमरा
5. विडियो कैमरा
6. वधशाला सम्बन्धी उपकरण, वर्षामापी, तापमापी, वायुदाबमापी, वायुगति एवं दिशामापी आदि।

(स) **भवन** – संरक्षित क्षेत्र के निकट एक शोध प्रयोगशाला की स्थापना होनी चाहिए। अधिकारी/कर्मचारियों के लिए भवन होना चाहिए।

(द) **वाहन** – शोध अधिकारियों के लिए मोटर साइकिल तथा कर्मचारियों के लिए साइकिल, नाव आदि उपलब्ध करानी चाहिए।

(य) **प्रतिफल** – प्रत्येक 6 माह में अन्तिम सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भेजी जायेगी तथा परियोजना पूर्ण होने पर अन्तिम विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही अभ्यर्थियों के रुचि के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थिति सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पी0एच0डी0 हेतु अनुमति दी जायेगी। शोध पत्र की एक प्रति वन विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी।

9.4 अनुश्रवण –

1. विभिन्न स्तरों किए गए शोध व अध्ययन तथा निष्कर्ष व प्रबन्धन हेतु वांछित संस्तुतियाँ प्रत्येक 6 माह में विभागीय उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।
2. पारिस्थितिकी विज्ञान विशेषज्ञों तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की समिति उपरोक्त शोध-निष्कर्षों का अध्ययन करेगी। अध्ययन-आख्या तथा संस्तुतिया वन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

3. पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विषयों में रुचि रखने वाले स्नातकोत्तर/अर्ह छात्रों को संरक्षित क्षेत्र में अध्ययन व शोध की अनुमति दी जायेगी। शोध पत्र की प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9.5 प्रशिक्षण – सुरहाताल पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के सम्बन्धित स्टाफ के ज्ञान को अद्यतन बनाये रखने हेतु निम्न विषयों पर पुनः प्रशिक्षण आवश्यक –

(क) **विविध नियम तथा उनके क्रियान्वयन/लागू करने सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण** –

1. भारतीय वन अधिनियम-1927
2. वन्य संरक्षण अधिनियम-1980
3. वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम-1972 (यथा संशोधित)
4. वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976
5. भारतीय दण्ड संहिता
6. पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण

(ख) विभिन्न अस्त्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण।

(ग) अपराध को वर्गीकृत कर विवेचन साक्ष्य एकत्रण और आरोप पत्र प्रेषित कर पैरवी सम्बन्धी प्रशिक्षण।

(घ) वन्य जीवों की गणना सम्बन्धी प्रशिक्षण।

(ङ) वन्य जीवों के सामान्य प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

9.2.2 औपचारिक प्रशिक्षण – संरक्षित क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारियों को वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित किये जाने वाले औपचारिक कोर्स में बारी-बारी से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ स्टाफ को कालागढ़ में कार्बेट वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान भेजकर प्रशिक्षित कराना होगा।

अध्याय-10

ढाँचा एवं दायित्व

वर्तमान में जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबन्धन प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इस पक्षी विहार हेतु पृथक से कोई पद स्वीकृत न होने के कारण प्रबन्ध योजना के विभिन्न प्राविधानों का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः इस पक्षी विहार के पारिस्थितिकी तन्त्र को स्थायी गतिशीलता प्रदान करने हेतु निम्न पदों की स्वीकृति प्राप्त कर वनाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

क्र० सं०	पद एवं नाम	पदों की सं०	दायित्व
1.	वन्य जीव प्रतिपालक	1	संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण
2.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन, सुरक्षा एवं विभिन्न विकास कार्यों का क्रियान्वयन।
3.	शोध अधिकारी	1	संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तन्त्र का अध्ययन, विश्लेषण तथा शोध
4.	उप वन रेंजर	1	ईको पर्यटन प्रभारी
5.	वन दरोगा	2	सुरक्षा एवं विधिक कार्यों का निस्तारण
6.	वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक	10	संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा
7.	नाविक	5	संरक्षित क्षेत्र में सुरक्षा बलों नावों द्वारा गश्त व भ्रमण कराना, आवश्यकतानुसार पर्यटकों को भ्रमण कराना।
8.	जीप/वाहन चालक	1	वाहन संचालन
9.	अर्दली/पत्रवाहक	2	सहायक
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	कार्यालय कार्य

10.2 कर्मचारी/स्टाफ सुविधाएं –

इस पक्षी विहार से सम्बद्ध स्टाफ के लिए निम्न विवरण के अनुसार आवासीय तथा अनावासीय भवनों की आवश्यकता है –

क्र० सं०	भवन का प्रकार	आवास की संख्या
1.	कार्यालय भवन	1
2.	आवासीय भवन टाइप-3	1
3.	आवासीय भवन टाइप-2	2
4.	आवासीय भवन टाइप-1	10

इसके अतिरिक्त पक्षी विहार के प्रभावी नियन्त्रण एवं रख-रखाव हेतु निम्न संचार व्यवस्था का भी होना अत्यन्त आवश्यक है –

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	संख्या
1.	जीप	1
2.	मोटर साइकिल	2
3.	साइकिल	6
4.	बोट	4
5.	टेलीफोन	1

(2) वर्दी एवं फील्ड सामान –

निर्मित वर्दी में खाकी वर्दी ग्रेट कोट, बेल्ट, जूता, टोपी, वैज, आदि प्रत्येक स्टाफ के लिए आवश्यक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को नियमित वर्दी भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यूशेड/वाच टावर पर वाइनाकुलर टेलीस्कोप आदि सामान सही

अवस्था में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को छाता, टार्च, बरसाती, जूते व रेनकोट आदि दिये जायेंगे।

अन्य सुविधाएं –

संरक्षित क्षेत्र के स्टाफ के लिए वन क्षेत्र कार्यालय पर दवाओं सहित फर्स्ट एड बाक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय—11

जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत बजट से सम्बन्धित आगामी दस वर्षों का आय—व्यय का आंकलन निम्न प्रकार प्रस्तावित है —

11.1 विगत दशकों में जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार आय की योजना निरूपित नहीं की गई, क्योंकि इस क्षेत्र में बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण प्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रकार के आय का निर्धारण करना अव्यवसायी तथा अप्रासंगिक रहा है।

परन्तु आगामी वर्षों में संरक्षित क्षेत्र की बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उचित प्रबन्ध शैली अपना कर संरक्षित क्षेत्र के विकास के क्रम में यहाँ पर इको—पर्यटन की असीम सम्भावनायें हैं। वन्य जीव विहार में नौका भ्रमण/पक्षी अवलोकन हेतु पर्यटकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त नौकाओं के पंजीकरण शुल्क इत्यादि के आधार पर आगामी दस वर्षों में वार्षिक अनुमानित आय निम्न सारिणी के अनुसार है —

सारिणी —11.1

क्र० सं०	मद	संख्या	दर रु०	इकाई	सकल आय वार्षिक लाख में	वर्ष में 150 दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	नौकाओं का पंजीकरण	25	500	वार्षिक	0.125	—
2	प्रवेश शुल्क					
i)	देशी पर्यटक	500	50	दिन	37.50	—
ii)	विदेशी पर्यटक	50	250	दिन	18.75	—
योग —					56.375	

11.2 जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया में आगामी दस वर्षों में प्रस्तावित कार्य एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तावित कर सारिणी—11.2 में दिया गया है —

सारिणी-11.2

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक

(रु० लाख में)

क्र० सं०	विवरण	मद	इकाई	वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष	
				2020—21		2021—22		2022—23		2023—24		2024—25		2025—26		2026—27		2027—28		2028—29		2029—30	
				भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०	भौ०	वि०
1	जल संग्रहण क्षेत्रों से आने वाले नालों की सफाई	प्राकृतवास सुधार, विकास व संरक्षण	किमी०	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00
2	बड़े आई लैण्डों का निर्माण एवं उन पर वृक्षारोपण		संख्या	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00
3	हानिकारक खर पतवार उन्मूलन		है०	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00
4	ताल के किनारों पर माउण्ड		संख्या	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50
5	ताल के बाहरी किनारों पर परिधि में 200 मीटर के अन्दर झाड़ीदार वृक्षारोपण		रो० किमी०	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50
योग —प्राकृतिकवास सुधार —				—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00	—	35.00
1	प्रत्येक वर्ष चयनित ग्रामों में गाँवों की बैठक कर उनकी प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं व वन्य जीव एवं पक्षी विहार के विकास व संरक्षण को ध्यान में रखकर ग्राम में विकास कार्य	पारिस्थितिकीय विकास	गाँव	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00
2	चयनित ग्राम में चयनित परिवारों को रोजगार हेतु लघु उद्योगों/मधुमक्खी पालन इत्यादि हेतु सहायता		परिवार	—	0.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
योग —पारिस्थितिकीय विकास —				—	5.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00	—	30.00

1	प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र व पर्यटन/आगन्तुक केन्द्र निर्माण व रख-रखाव	ल0स0	1	30.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
2	गौचालय निर्माण व रख-रखाव	संख्या	-	0.00	2	2.00	-	0.00	2	1.00	-	0.00	-	0.00	2	1.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3	जलापूर्ति साधन, हैण्ड पम्प मरम्मत व रख-रखाव	संख्या	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50
4	वाच टावर का निर्माण व रख-रखाव	संख्या	2	10.00	2	12.00	2	12.00	1	8.00	1	8.00	1	9.00	1	9.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00
5	नाव घाटों का निर्माण व रख-रखाव	ल0स0	1	5.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6	ताल के किनारे पैदल बटिया का निर्माण व रख-रखाव	संख्या	4	2.50	8	5.00	8	5.00	8	5.00	7	4.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
7	सोलर लाइट की स्थापना व रख-रखाव	संख्या	5	1.50	4	1.20	2	0.60	4	1.20	-	-	-	-	-	-	4	1.50	-	-	-	-
8	जनरेटर क्रय व रख-रखाव	संख्या	1	0.75	-	0.00	-	0.00	1	0.90	-	0.00	-	0.00	1	1.00	-	0.00	-	0.00	1	1.00
9	वाटर पम्प	संख्या	1	1.50	-	-	2	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.00	-	-
10	प्रदर्शनी	ल0स0	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00
11	साइनबोर्ड	संख्या	10	1.00	10	1.00	-	0.00	-	0.00	10	1.20	10	1.20	-	0.00	-	0.00	10	1.50	-	0.00
12	प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र का अतिरिक्त विकास	ल0स0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	6.00	-	0.00
13	पुस्तकें	संख्या	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50
14	अन्य उपकरण	ल0स0	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00

इको टूरिज्म

15	लान एवं चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण व रख-रखाव	इको टूरिज्म	ल0स0	Ls.	6.00	–	0.00	Ls.	3.00	–	0.00	Ls.	3.00	–	0.00	Ls.	3.00	–	0.00	Ls.	3.00	–	0.00
16	पर्यटकों के बैठने हेतु ब्यू-शेड का निर्माण		ल0स0	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	2	5.00	–	0.00	–	0.00
17	पार्किंग स्थल निर्माण		ल0स0	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
18	जलपान गृह		ल0स0	1	7.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	1	7.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
योग –इकोटूरिज्म –				–	76.25	–	42.20	–	39.60	–	32.10	–	37.20	–	27.20	–	24.00	–	26.50	–	34.50	–	21.00
1	वन रेंज कार्यालय	प्रशासनिक कार्य व सुधार	संख्या	–	0.00	1	15.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी आवास		संख्या	–	0.00	1	18.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
3	वन्य जीव प्रतिपालक कार्यालय एवं आवास		संख्या	–	0.00	–	0.00	2	25.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
4	वन दरोगा आवास		संख्या	–	0.00	2	15.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
5	वन्य जीव रक्षक चौकियों का निर्माण व रख-रखाव		संख्या	–	0.00	4	25.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
6	नाव क्रय		ल0स0	–	0.00	3	6.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
7	जीप/वाहन क्रय व रख-रखाव		ल0स0	–	0.00	1	10.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00
8	मोटरसाइकिल क्रय व रख-रखाव		संख्या	–	0.00	1	1.00	1	1.00	–	0.00	1	1.00	1	0.30	–	0.00	1	0.30	–	0.00	2	0.60
9	विभिन्न शोध उपकरण		ल0स0	–	0.00	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00
10	पुरस्कार एवं प्रोत्साहन		ल0स0	–	0.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00

11	भवनों एवं उपकरणों का रख-रखाव	प्रशासनीक कार्य व सुधार	ल0स0	–	0.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00
12	कर्मचारी सुविधा		ल0स0	–	0.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.50	Ls.	2.50	Ls.	2.50	Ls.	2.50	Ls.	2.50	Ls.	2.50
13	प्रशासनिक व्यय		ल0स0	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00	Ls.	5.00
योग – प्रशासनीक कार्य व सुधार –				–	5.00	–	101.20	–	37.20	–	11.20	–	12.70	–	12.80	–	12.50	–	12.80	–	12.50	–	13.10
सम्पूर्ण योग –				–	121.25	–	208.40	–	141.80	–	108.30	–	114.90	–	105.00	–	101.50	–	104.30	–	112.00	–	99.10

अध्याय –12

(SCHEDULE OF OPERATIONS AND MISCELLANEOUS, REGULATIONS)

विभिन्न कार्यों का सावधिक लेखा-जोखा

- 12.1** **शिड्यूल** – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य उपयोगिता एवं श्रम व धनराशि की उपलब्धता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए वर्ष के विभिन्न काल खण्डों में सम्पन्न कराने हेतु कार्यों की एक समय-सारिणी निर्धारित की जायेगी। कार्यों की उपयोगिता तथा सफलता में उपयुक्त काल-क्रम निर्धारण का उपेक्षित महत्व है।
- 12.2** **विचलन एवं लक्ष्य प्राप्ति का अभिलेख** – संरक्षित क्षेत्र में कराये गए/कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के वार्षिक लक्ष्य, प्राप्ति तथा विचलन को अभिलिखित करने हेतु एक पंजी का रख रखाव किया जायेगा। पंजी में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति व विचलन का वार्षिक विवरण निम्न प्रारूप में अंकित करना होगा।

लक्ष्य एवं विचलन सारिणी 12.1

क्र० सं०	वर्ष	भौतिक तथा वित्तीय विवरण				
		कार्य का विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	विचलन	विचलन का कारण
1	2	3	4	5	6	7

संरक्षित क्षेत्र की प्रबन्धयोजना में निर्धारित कार्यों के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति न हो पाने की स्थिति में विचलन का पूर्ण विवरण मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र को प्रस्तुत किया जायेगा तथा विचलन अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- 12.3** **रोजगार सृजन की क्षमता का अभिलेख** – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रबन्धन के क्रम में संचालित विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार सृजन की क्षमता का आकलन करते हुए अभिलेखों में सम्बन्धित सूचनाएं आख्या संकलित की जायेगी।

(क) श्रम रोजगार सारिणी – 12.2

क्र० सं०	वर्ष	कार्य/योजना का नाम	सृजित मानव/ कार्य दिवस	समतुल्य धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

(ख) व्यावसायिक रोजगार सारिणी – 12.3

क्र० सं०	योजना का नाम	व्यवसाय	विभागीय अनुदान संख्या	ई०डी०सी० कोष से सहायता (रु०)	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6

व्यवसायिक रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विवरण हेतु एक पृथक पंजी रखी जायेगी, जिसमें निम्न विवरण अंकित किया जायेगा –

सारिणी – 12.4

क्र० सं०	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम	पता	व्यवसाय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

12.4 नियन्त्रण फार्म (Control Forems) –

जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार क्षेत्र में इस अभिलेख की आवश्यकता नहीं है।

12.5 कक्ष इतिहास का रख-रखाव –

जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1
उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-3
संख्या 1088(1)/14-3-19/89
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च 1991

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसका व्यौरा नीचे दी गयी अनुसूची में दिया गया है वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्बर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतीय, भू-आकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व का है।

अतएव अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम-संख्या 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त क्षेत्र को जो 34.319 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, पक्षी विहार के रूप में घोषित करते हैं, जिसे जिला बलिया का जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार कहा जायेगा।

अनुसूची

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :

दक्षिण-पश्चिम

ग्राम भीखमपुर की गाटा संख्या 37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेंदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9, 10, 116, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम व सन्तपुर इंग्लिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० -1,4,5,6,7,8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962, 1965

पश्चिम-उत्तर

ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाटा संख्या 744, 443, ग्राम ठेलिया की गाटा संख्या 114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अख्तियारपुर की गाटा संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाटा संख्या 419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472

उत्तर-पूर्व

ग्राम सिधरौली की गाटा संख्या -44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या 1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी की गाटा संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम जाजीपुर की गाटा सं0 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम कोल डुमरिया की गाटा संख्या 22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42 ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या 26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24

पूर्व-दक्षिण

ग्राम फुलवरिया की गाटा संख्या 6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम गल्हया की गाटा संख्या 163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम डुमरी की गाटा संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200,

199 ग्राम सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या 114, 112, 116, 113, 110, 111, 1112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम परतपुर की गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/1, 47, 46 और 45

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का क्षेत्रफल

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे0में)	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयां	4.07	-	4.07
	धधरौली	20.07	0.80	20.87
	परतपुर	32.46	3.47	35.93
	भेदपुर	16.46	0.45	16.91
	भीखपुर	11.36	0.45	16.91
	वासदेवपुर	-	7.89	7.89
	श्रीपुर	-	6.51	6.51
	सलेमपुर	78.32	0.40	78.72
	वसन्तपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
	वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	-	44.29
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
	बसन्तपुर	17.78	0.02	17.80

बलिया	यवरीकरन	39.40	-	39.40
	गल्हया	99.30	-	99.30
	चवरी	75.63	-	76.63
	वभनौली	15.41	0.78	16.19
	फुलवरिया	21.31	-	21.31
	विन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
	ढेलिया	153.44	-	153.44
	शिवपुर	12.14	-	12.14
	तूर्मपुर	14.03	0.13	14.16
	अख्तियारपुर	16.76	1.48	18.24
	कैथवली	30.05	2.69	32.74
	सिधौली	6.07	-	6.07
	माधौपुर	8.05	0.04	8.09
	जजियापुर	15.28	1.21	16.49
	गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
	मैरीटार	14.17	-	14.17
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	38.72	-	38.72
	राजपुर	12.61	-	12.61
	आंधी	30.94	-	30.94
	बड़सरी	32.75	0.32	33.07
	नरायनपुर	7.75	0.20	7.95
	हथिवदा	15.66	1.82	17.48

बलिया	गजियापुर	17.48	-	17.48
	कोल डुमरिया	48.39	-	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	-	42.29
	कुल योग –	3,300.23	132.70	3432.93
				3432.93 ha.
			या	34329 वर्ग किमी

आज्ञा से,
ह0/—
(राजीव रत्न शाह)
सचिव।

संख्या 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में असाधारण गजट के दिनांक 03.04.91 के अंक में प्रकाशित कर दें तथा उसकी 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से
ह0/—
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

सं0 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ/समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5. जिलाधिकारी, बलिया।
6. जन संरक्षक, सा0वा0, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
7. विधायी अनुभाग-1
8. पर्यटन/मत्स्य अनुभाग।

आज्ञा से
ह0/—
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट-2

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिकी, प्राणिजात, वनस्तीय भू-आकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणितत्व महत्व को पाते हुए बलिया जिले में “सुरहाताल पक्षी विहार” घोषित किया गया है, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1000 (1)/14-3-9/89, लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 1991 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिसूचना संख्या-उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-4, संख्या-2854/चौदह/4-2002-875/2002, लखनऊ, दिनांक 10.12.2002 द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा “सुरहाताल पक्षी विहार” का नाम परिवर्तित कर “जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार” कर दिया गया, सीमायें निम्न प्रकार हैं—

जिला	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :
बलिया	दक्षिण-पश्चिम — ग्राम भीखमपुर की गाटा संख्या-37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेंदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9, 10, 116, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम व सन्तपुर इंग्लिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० -1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962, 1965

बलिया	पश्चिम-उत्तर – ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाटा संख्या 744, 443, ग्राम ठेलिया की गाटा संख्या 114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अख्तियारपुर की गाटा संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाटा संख्या 419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472
	उत्तर-पूर्व – ग्राम सिधरौली की गाटा संख्या-44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या 1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी की गाटा संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम जाजीपुर की गाटा सं0 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम कोल डुमरिया की गाटा संख्या 22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42 ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या 26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24
	पूर्व-दक्षिण – ग्राम फुलवरिया की गाटा संख्या-6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम गल्हया की गाटा संख्या 163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम डुमरी की गाटा संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200, 199 ग्राम सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या 114, 112, 116, 113, 110, 111, 1112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम परतपुर की गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/1, 47, 46 और 45

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का क्षेत्रफल –

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे०में)	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयां	4.07	—	4.07
	धधरौली	20.07	0.80	20.87
	परतपुर	32.46	3.47	35.93
	भेदपुर	16.46	0.45	16.91
	भीखपुर	11.36	0.45	16.91
	वासदेवपुर	—	7.89	7.89
	श्रीपुर	—	6.51	6.51
	सलेमपुर	78.32	0.40	78.72
	वसन्तपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
	वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	—	44.29
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
	बसन्तपुर	17.78	0.02	17.80
	यवरीकरन	39.40	—	39.40
	गल्हया	99.30	—	99.30
	चवरी	75.63	—	76.63

1	2	3	4	5
बलिया	वभनौली	15.41	0.78	16.19
	फुलवरिया	21.31	—	21.31
	विन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
	ढेलिया	153.44	—	153.44
	शिवपुर	12.14	—	12.14
	तूर्मपुर	14.03	0.13	14.16
	अख्तियारपुर	16.76	1.48	18.24
	कैथवली	30.05	2.69	32.74
	सिधौली	6.07	—	6.07
	माधौपुर	8.05	0.04	8.09
	जजियापुर	15.28	1.21	16.49
	गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
	मैरीटार	14.17	—	14.17
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	38.72	—	38.72
	राजपुर	12.61	—	12.61
	आंधी	30.94	—	30.94
	बड़सरी	32.75	0.32	33.07
	नरायनपुर	7.75	0.20	7.95
	हथिवदा	15.66	1.82	17.48

1	2	3	4	5
बलिया	गजियापुर	17.48	—	17.48
	कोल डुमरिया	48.39	—	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	—	42.29
	कुल योग —	3,300.15	132.70	3,432.93
			या	3,432.93 है०
			या	34,329 वर्ग किमी०

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत फैले क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वामित्व का अस्तित्व समझता है, तो वह उक्त घोषणा के दो माह के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित बातें आवश्यक रूप से उल्लिखित किया जायेगा —

- (क) उसके अधिकार एवं स्वामित्व की प्रवृत्ति।
- (ख) सीमा।
- (ग) दावे की राशि।
- (घ) प्रतिकर।

ह०/—
(जिलाधिकारी),
बलिया।

परिशिष्ट-2 (अ)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन,
लखनऊ।

संख्या— 825/रा0स0,

दिनांक : जून 17, 2010

विषय : राजस्व विभाग द्वारा नक्सलवाद की समस्या के सामाधान हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद के अन्तर्गत सुरहाताल “जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार” को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पक्षी विहार के रूप में अधिसूचना जारी की गयी है तथा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, बलिया द्वारा इस क्षेत्र का बन्दोबस्त की कार्यवाही न हो पाने के दृष्टिगत अधिसूचित क्षेत्रों की बन्दोबस्त की कार्यवाही हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित जनपदों में वन विभाग से सम्बन्धित वन बन्दोबस्त अधिकारी से केवल वन बन्दोबस्त का ही कार्य लिया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी का पद एक अधिसूचित पद है तथा इस जनपद में कोई अधिकारी वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित नहीं है। बन्दोबस्त अधिकारी का कार्य लेने हेतु शासन स्तर से ही किसी अधिकारी को वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है।

अतः निवेदन है कि वन विभाग से सम्बन्धित अधिसूचित क्षेत्रों के वन बन्दोबस्त कार्य हेतु किसी अधिकारी को वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित करने की कृपा करें।

भवदीय,

ह0/—

(संथिल पाण्डियन सी0)

जिलाधिकारी, बलिया।

परिशिष्ट-3
अ-तापमान
अधिकतम व न्यूनतम तापमान का मासिक औसत (सेल्सियस में)

माह	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	26.77	4.30
फरवरी	29.90	7.00
मार्च	36.61	10.64
अप्रैल	43.46	15.30
मई	44.10	20.44
जून	43.96	23.05
जुलाई	38.54	23.40
अगस्त	36.38	23.54
सितम्बर	35.68	21.86
अक्टूबर	35.45	14.09
नवम्बर	31.20	9.68
दिसम्बर	27.41	6.06

परिशिष्ट-4

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) (बलिया) जनपद में वर्षा के आंकड़े वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक (मिमी) में

वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010-11	0.00	4.50	6.40	0.00	0.00	95.00	235.00	363.00	185.00	25.00	0.00	32.00	945.90
2011-12	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	74.00	263.00	282.00	165.00	10.00	0.00	27.00	834.00
2012-13	6.25	0.00	6.40	0.00	0.00	84.20	255.00	297.00	154.00	12.00	0.00	26.00	840.85
2013-14	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	81.00	244.00	267.00	172.00	15.00	0.00	24.00	812.00
2014-15	6.00	0.00	4.00	0.00	0.00	72.00	266.00	287.00	155.00	20.00	0.00	30.00	840.00
2015-16	6.25	0.00	5.00	0.00	0.00	85.00	255.00	290.00	165.00	22.00	0.00	24.00	852.25
2016-17	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	74.00	263.00	282.00	165.00	10.00	0.00	27.00	834.00
2017-18	6.25	0.00	6.40	0.00	0.00	84.20	245.00	297.00	154.00	12.00	0.00	26.00	830.85
2018-19	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	81.00	265.00	267.00	172.00	15.00	0.00	24.00	833.00
2019-20	5.60	0.00	7.00	0.00	0.00	72.00	265.00	288.00	265.00	10.00	0.00	17.00	929.60
योग —	43.35	16.50	54.20	0.00	0.00	802.40	2556.00	2920.00	1752.00	151.00	0.00	257.00	8552.45

परिशिष्ट-5

मानवजातीय वानस्पतिक औषधिक एवं सांस्कृतिक महत्व की पादप प्रजातियों की सूची
M=Medical, R=Religious

कुल	हिन्दी नाम	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	महत्व
Acanthaceae	अडूसा	Vasaka	Adhatoda vasica	M
Rutaceae	बेल	Wood apple	Aegle marmelos	MR
Apocynaceae	छितवन	Devil's free	Alstonia scholaris	MR
Meliaceae	नीम	Margosa Tree	Azadirachta India	MR
Scrophulariaceae	ब्राम्ही	Bacapa	Bacopa monnieri	M
Nyctaginaceae	पुनर्नवा	Hogweed	Boerthavia diffusa	M
Fabaceae	ठाक	Palas	Butea monoserma	M
Caealpiniaceae	अमलतास	Indian Labrum	Cassila fistula	M
Caealpiniaceae	इमली	Tamarind	Tamarindus indica	M
Apiaceae	ब्राम्हमण्डुकी	Indian Pennywot	Centella sriatica	M
Solanaceae	धतूरा	Datura	Dature stramonium	M
Euphorbiaceae	आंवला	Emblica	Emblica officinalis	MR
Euphorblaceae	लाल दुद्धी	Euphorbia	Euphorbla hirta	M
Lythraceae	मेहन्दी	Henna	Lawsonia innermis	MR
Sapotaceae	महुआ	Mahua	Madhuca indica	MR
Lamiaceae	तुलसी	Tulsi (Holybasil)	Ocimum sanctum	MR
Beberidaceae	वत वैगन (पापड़ी)	Indian Podophyllum	Podophyllum hexandrum	M
Euphorblaceae	अरण्डी	Caster Oil Seed	Ricinus communis	M
Euphorblaceae	जैट्रोफा	Purging nut	Jatropha curcus	M

Malvaceae	खरेंटी	Sida	Sida cordifolia	M
Solanaceae	कटकारी कटेरी	Kantkari	Solanum xanthocarpum	M
	मकोप	Black night Shade	Solanum nigrum	M
Myrtaceae	जामुन	Mambol	Syzygium cumini	Medbl e frt.
Menispermaceae	गिलोप	Tino spora	Tinospora cordifolia	M
Zygophyllaceae	छोटो गोखरू	Hpljti	Tribulus terrestris	M
Liliaceae	वन प्याज	Indian squill	Urginea India	M
Nymphaeaceae	कमल	Lotus	Nelumbo nucifera	MR
Compositae	करभंग	Eclipta	Eclipta alba	M
Comaceae	अकोला	Alangium	Alangium lamarcki	M
Asclepidaceae	मदार	Calotropis	Calotropis procera	MR
Verbenaceae	सँभालू	Vitex	Vitex nigundo	M
Boraginaceae	लसोढा	Lesa	Cordia myxa	M
Trapaceae	सिंघाड़ा	Water chest Nut	Trapa bispinosa	Redbl e frt.
Moraceae	बदगर	Banyan Tree	Ficus bengalensis	R
Moraceae	पीपल	Religious Tree	Ficus religiosa	R
Combretaceae	अर्जुन	Arjun	Terminalia arjuna	M
Papilionaceae	कंजी	Indian Beach	Pongamia pinnata	M
Bignoniaceae	बालमखीरा	Sausage Tree	Kigelia pinnata	M

परिशिष्ट—6

कोई राजकीय भवन नहीं है।

Eco-Tourism in India, Policy and Guidelines-1998
Ministry of Tourism, Government of India.

1. ECOTOURISM : DEFINITION :

The activities of persons travelling to and staying in places outside their usual place of residence for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes constitute tourism. Such visit for being close to nature to enjoy its enormous creations, both biotic and abiotic, in a most environment-friendly manner, without any adverse impact on the ecosystem, is particularly known as ecotourism.

According to the World Tourism Organization (WTO), "Tourism that involves travelling to relatively undisturbed natural areas with the specified object of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural aspects (both of the past or the present) found in these areas" is defined as ecotourism. Nature tourism (ecotourism) is distinguished from mass tourism on resort tourism by having a lower impact on the environment and by requiring less infrastructure development.

The key elements of ecotourism include a natural environment as the prime attraction, an optimum number of environment-friendly visitors, activities which do not have any serious impact on the ecosystem and the positive involvement of the local community in maintaining the ecological balance. Ecotourism can take many forms and magnitudes. For example 'losing' oneself in a beautiful natural forest or landscape watching animals, birds and trees in a forest, corals and marine life in sea, engaging in trekking, boating or rafting, wandering amongst sand dunes-these are some of the common forms of ecotourism.

Though the concept has gained importance only recently. India has been experiencing various forms of ecotourism all through the ages.

2. ECOTOURISM RESOURCES OF INDIA :

The geographical diversity of India is a wealth of ecosystems, which are well protected and preserved. These ecosystems have become the major resource for ecotourism in India.

They are :

1. Biosphere Reserves.
2. Mangroves.
3. Coral reefs.
4. Deserts.
5. Mountains and Forests.
6. Flora and Fauna.
7. Seas, Lakes and Rivers.
8. Caves

2.1 Biosphere Reserve

Biosphere reserves are multipurpose protected areas, for preservation of the genetic diversity and integrity of plants animals and microorganisms in representative ecosystems. These are seven such reserves in India at present:

1. Nilgiri.
2. Nanda Devi.
3. Nokrek.
4. Great Nicobar.
5. Gulf of Mannar.
6. Manas.
7. Sunderbans.

2.2 Mangroves

Mangroves are very specialized forest ecosystems of tropical and subtropical regions bordering sheltered sea coasts and estuaries.

Major mangroves areas are :

- i)** Northern Andaman and Nicobar Islands.
- ii)** Sunderbans (West Bengal)
- iii)** Bhitarkanika and Mahanandi Delta (Orissa)
- iv)** Coringa, Godavari Delta and Krishna Estuary (Andhra Pradesh)
- v)** Pichavaram and Point Calimere (Tamil Nadu)
- vi)** Goa
- vii)** Gulf of Kutch (Gujarat)
- viii)** Coondapur (Karnataka)
- ix)** Achra/Ratnagiri (Maharashtra)
- x)** Vembanad (Kerala)

2.3 Coral Reefs :

There are four major coral reefs identified in the country so far

- i)** Gulf of Mannar.
- ii)** Andaman and Nicobar Islands.
- iii)** Lakshadweep Islands.
- iv)** Gulf of Kutch.

2.4 Deserts :

The great Thar desert and the little deserts in the North Western Region of the country are distinct ecosystems which have fascinated tourists from all over the world.

2.5 Mountains and forests :

The great Himalayas and other mountain ranges in the country, along with the snow-clad slopes, forests, and rivers, have also become great

attractions for ecotourists. The country has an area of about 752.3 lakh hectares notified as forest land and of this about 406 lakh hectares are classified as Reserve forests and 215.1 lakh hectares as Protected Forests.

2.6 Flora and Fauna :

India is floristically very rich. She has about 45,000 species of plants. The country also has a great variety of fauna, numbering a little over 65,000 known species, including 1,228 of birds, 428 of reptiles, 372 of mammals, 204 of amphibians and 2,546 of fish.

In order to protect and preserve these genetic constituents, India has created a number of National Park and 421 Wildlife sanctuaries in different parts of the country. Some of these which have already become popular with tourists are Kaziranga and Manas in Assam, Jim Corbett in Uttar Pradesh, Keoladco Ghana, Ranthambore and Sariska in Rajasthan Kanha and Randhavgarh in Madhya Pradesh, Bandipur in Karnataka and Simhpal in Orissa.

2.7 Water resources :

The Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal brace the sides of the Indian subcontinent except for the northern boundary. The land mass of India is crossed by several rivers and dotted by lakes at many places. These water bodies provide attractive opportunities for water sports.

3. POLICY AND PLANNING :

The national policy on tourism stipulates that tourism should become a unifying force nationally and internationally, fostering better understanding through travel.

It should also help to preserve, retain and enrich our world-view and life-style, our cultural expressions and heritage in all its manifestations. The

prosperity, that tourism brings should strengthen and cause accretion, rather than damage, to our social and cultural values and depletion of our natural resources.

Realization of these policy objectives particularly in the context of ecotourism would involve a selective approach, scientific planning, effective control and continuous monitoring. The development process itself should meet the following cardinal principles.

- (i) It should involve the local community and lead to the overall economic development of area.
- (ii) It should identify the likely conflicts between resources use for tourism and the livelihood of local inhabitants and attempt to minimize such conflicts.
- (iii) The type and scale of tourism development should be compatible with the environment and sociocultural characteristics of the local community and
- (iv) It should be planned as a part of the overall area development strategy, guided by an integrated land-use plan and associated with commensurate expansion of public services.

The biospheres, mangroves, coral reefs, deserts and mountains which form the core resources for ecotourism are fragile ecosystems. Hence decisions for the development of tourism in such areas have to be based on a thorough understanding of local resources, social and economic factors and other characteristics.

The objectives of tourism development in any specified area, as well as the intended beneficiaries, dependency and scale of development have to be decided on the basis of these factors and discussions and negotiations with those most directly concerned.

The development of physical maintenance for tourism should be preceded by the preparation of an inventory of resources and a zoning/management plan to ensure preservation and public use of valuable natural sites.

Whenever destruction of serious alteration of areas of high primary productivity life wetland, seagrass, beds, coral reefs or rainforests is contemplated, benefits and costs should be carefully assessed before planning tourism development activities. Further, planning and promotion of tourism should be undertaken as a component part of an integrated, comprehensive resources management plan founded on sound ecological principles.

The Tourism Management Plan should be establish standards for resort development covered among others, the style and of structures, treatment of sewage and control of litter preservation of open spaces and public use of fragile areas. It should further lay down procedures to ensure that sewage is not directed to the beach or the ground water and soild waste is systematically collected and disposed of suitably. Adequate precautionary measures should also be taken to avoid noise pollution. It should also specify methods and material for construction activities and minimize any possible adverse impact on local environment.

Physical planning and design should integrate community services including availability of possible water, transportation and tourism. Transportationf and access should also be integrated with other purposes such as industry and trade as communities are the termini for air, land and water access. Physical planning for all travel modes, especially modern tour buses, also needs to be integrated between segments outside and inside the area of attraction.

4. OPERATIONAL GUIDELINES :

The key players in the ecotourism business are the Government both central and at both central and at state levels, the local authorities, the developers and the operators, the visitors and the local community. Each one of them has to be sensitive to the environment and local traditions and follow a set of guidelines for the successful development of tourism. In addition, non-governmental organization and scientific/research institution also have to play a key role in the development of ecotourism.

4.1 The Government :

The Management Plan for each area should be prepared by professional landscape architects and urban planners, in consultation with the local community as well as others directly concerned.

Integrated planning should be adopted to avoid inter-sectoral and cross-sectoral conflict.

The architectural programme for ecotourism centres should include controlled access point and cabins, roads, self-guided nature trails, transportation options, interpretive centres, signs, observation towers and blinds, adequate but unpretentious lodging and dining facilities, docks, garbage disposal facility and other utilities, as per requirement. If needed, suitable living quarters, and facilities for project personnel have to be provided.

Structures creating visual pollution, unaesthetic values and non-compatible architecture, should be controlled and temporary structures using local environment should be encouraged.

Exclude development in geologically unstable zones and define development and buffer zones after proper environmental impact assessments.

Establish standards, building codes and other regulations.

Specify environmental, physical and social carrying capacities to limit development activities.

Ensure continuous monitoring of adverse effects of tourism activities and initiate suitable corrective measures.

Recognize and award quality labels to ecotourism operators.

Provide visitor information and interpretation services, covering particularly (i) what to see, (ii) how to see (iii) how to behave. It can be by way of brochures, leaflets, specialized guides, visitor information centres and such.

Prepare and widely distribute codes of conduct to all visitors.

Launch training programmes on ecotourism to tourism administrators, planners, operators and general public.

4.2 Developers, Operators and suppliers :

Respect and follow the planning restrictions, standards and codes provided by the government and local authorities.

Implement sound environment principles through a self regulation.

Practice environmental impact assessment for all new projects and conduct regular environmental audit for all ongoing activities leading to development of environmental improvement programmes.

Be sensitive to conservation of environmentally protected or threatened areas, species and scenic aesthetics, achieving landscape enhancement wherever possible.

Ensure that all structures are unobtrusive and do not interfere with the natural ecosystem to the maximum extent.

Recognize the optimal-environmental capacity and sociological use-limits of the site in creating tourist facilities. They should also take into account safety and convenience of tourists.

Buildings should be designed strictly on functional and environmental considerations and avoid over construction.

Local material and designs should be used in all construction to the extent possible.

Physical planning, architectural design and construction of tourist facilities should employ ecofriendly techniques like solar energy, capture and utilization of rain water, recycling of garbage, natural cross-ventilation instead of air-conditioning a high level of self-sufficiency in food generation through orchards, ecological farms, aquaculture and such.

Energy and water-saving practices should be employed to the extent possible. Fresh water management and controlled, sewage disposal should also be practiced.

Control air emissions-both chemical pollutants and noise.

Control and reduce environmentally, unfriendly products such as asbestos, CFCs pesticides and toxic, corrosive, infectious, explosive or flammable material.

Respect and support historic or religious objects and sites.

Provide information and interpretive service to visitors especially on attractions and facilities, safety and security, local customs and traditions, prohibitions and regulations and self-conduct and behaviour.

Ensure adequate opportunities to visitors for communion with nature and native cultures.

In marketing ecotourism products, customers should be given correct information, as the visitors who appreciate ecotourism products usually belong to environmentally-aware groups.

Training and research programmes of the company should include environmental issues.

Prepare tourists to minimize possible negative impact while visiting sensitive environments and cultures before their visit.

Ensure safety and security of visitors and inform them of precautions to be taken.

Exercise due regard for the interest of the local population, including their history, tradition and culture economic development.

Involve the local community to the extent possible in various activities and vocations.

4.3 The Visitors :

Help conserve habitats of flora and fauna and any site, natural or cultural, which may be affected by tourism.

Make no open fires and discourage others from doing so. If water has to be heated with scarce, use as little as possible. Where feasible, use kerosene or fuel-efficient wood stoves.

Remove litter, burn or bury paper and carry back all non-degradable litter.

Keep local water clean and avoid using pollutants such as detergents in streams or springs. If no toilet facilities are available, try to relieve yourself at least 30 meters away from water sources and bury or cover the waste.

Plants should be left to flourish in their natural environment and avoid taking away cuttings seeds and roots.

Leave the camp sites clean after use. Remember that another party will be using the same camp site after your departure.

Help guides and porters to follow conservation measures. Do not allow cooks/porters to throw garbage in streams or rivers.

Respect the natural and cultural heritage of the area and follow local customs.

Respect local etiquette and wear loose clothes. Kissing in public is disapproved of. Respect privacy of individuals and ask permission and use restraint in taking photographs of local inhabitants.

Respect holy places do not touch or remove religious objects.

Strictly follow the guidelines for personal safety and security and always take your own precautions and safety measures.

The Destination Population/Host Community :

Realize and respect the value of the environment, the flora and fauna, the monuments and the cultural heritage.

Practice conservation of nature and culture as a way of life.

Establish guidelines to protect valuable local resources and foster tourism management.

Realize and react to the potential threat of investors who see opportunities in development but lack sensitivity to local values.

Become effective nature guides and conservationists of natural areas by enhancing the practical and ancestral knowledge of the natural features of the area.

Be friendly with the visitors and help them to practice ecotourism codes.

4.5 Non-Governmental Organizations/Scientific & Research Institutions:

Create awareness, amongst all concerned, about the importance of sound ecopractices in tourism development. Motivate the local community to increase their involvement in sustainable tourism activities.

Organize training programmes to prepare the local people for taking up various vocations relating to ecotourism.

परिशिष्ट-8

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए इकोडेवलपमेन्ट का कार्यक्रम लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपकी पत्र संख्या-60 परि०नि० कैम्प/29-4-2 दिनांक 17 मई, 1997 के सन्दर्भ तथा शासन के पत्र संख्या 1925/14.04.97-825/97 दिनांक 11 जुलाई, 1997 के क्रम में मुझे यह कहना है कि शासन ने प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव एवं जैव विविधता कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इकोडेवलपमेन्ट के कार्यक्रम को अधिक सुनियोजित रूप से चलाने का निर्णय लिया है।

2. शासन के उक्त निर्णय को संलग्न शासकीय संकल्प के प्राविधानों के अनुसार लागू किया जायेगा।
3. कार्यक्रम को लागू किये जाने में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके क्रियान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त सरकारी स्टाफ नहीं होगा तथा योजना की समाप्ति पर शासन पर किसी प्रकार से कोई आवर्तक व्यय नहीं पड़ेगा।
4. अनुरोध है कि शासकीय संकल्प के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में इकोडेवलपमेन्ट के कार्यक्रम को लागू कराने के लिए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या : यू०ओ०/94/14-प०भू०-99 दिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (क) अपर मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ।
- (ख) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-9
उत्तर प्रदेश सरकार, वन अनुभाग-3
संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73,
लखनऊ, दिनांक : मार्च 08, 1973

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वन प्रभागों के प्रभागी, उप-अरण्यपालों तथा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव प्रतिपालकों को उक्त एक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध परिवाद निर्देशित करने का प्राधिकार देते हैं।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीकक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, (जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वन्य जन्तु प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
8. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

परिशिष्ट-10

वन अनुभाग-3

संख्या-696/14-तीन-31/73,
लखनऊ, दिनांक : मार्च 14, 1973

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-50 के साथ पठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी कहा गया जायेगा, उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार देते हैं -

1. निदेशक पार्क एवं पशु विहार।
2. वन्य जन्तु प्रतिपालक।
3. सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक।
4. वन्य जन्तु रक्षक।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
9. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव।

परिशिष्ट-11

वन अनुभाग-3

संख्या-696/14-तीन-31/73,
लखनऊ, दिनांक : मार्च 14, 1973

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-50 के साथ पठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी कहा गया जायेगा, उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार देते हैं -

1. निदेशक पार्क एवं पशु विहार।
2. वन्य जन्तु प्रतिपालक।
3. सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक।
4. वन्य जन्तु रक्षक।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
9. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव।

परिशिष्ट-12

वन अनुभाग-3

संख्या-4003/14-तीन-67/1974,

लखनऊ, दिनांक : अप्रैल 30, 1976

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) ऐक्ट, 1972 (ऐक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश समस्त सहायक वन्य जीव प्रतिपालकों, समस्त रेंज अफसरों, पुलिस विभाग के समस्त उप पुलिस अधीक्षकों, तीनों सहायक निरीक्षकों जो कि तीन पुलिस थाना और पुलिस चौकी में तैनात हों और उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी अधिकारिता में उक्त ऐक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध शिकायत दाखिल करने का प्राधिकार देते हैं।

आज्ञा से

ह0/-

(एन0पी0 त्रिपाठी),

सचिव

संख्या-4003 (1)/14-तीन-67/1974

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद की एक-एक प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 10 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से

ह0/-

(चन्द्रहास सिंह),

उप सचिव

संख्या-4003 (1)/14-तीन-67/1974

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विधायिका अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से

ह0/-

(चन्द्रहास सिंह),

उप सचिव।

परिशिष्ट-13
उत्तर प्रदेश, सरकार
वन अनुभाग-3
संख्या-2885 (1)/14-चार/1993,
लखनऊ, दिनांक : अक्टूबर 18, 1993

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (अधिनियम-संख्या-53 सन् 1972) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षकों और क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वन अधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों की उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरों, उप रेंजरों और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम-के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से
ह0/-
(मोहिन्दर सिंह),
प्रमुख सचिव

संख्या-2885 (1)/14-चार/1993, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 1000 प्रतियाँ शासन के वन अनुभाग-4 को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(पीताम्बर भट्ट),
अनु0 सचिव

संख्या-2885 (1)/14-चार/1993, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन एवं नियोजन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त सचिव (वन्य जन्तु), भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
ह0/-
(पीताम्बर भट्ट),
अनु0 सचिव।

परिशिष्ट-14

राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार उभयचरों की सूची

कुल	हिन्दी/प्रचलित नाम	अंग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थिति
बुफोनिडे Bufonidae	भेंक	Toad	Bufo Melanostictus	Common
रैनिड Raniidae	मेंढक	Indian Cricket Frog	Rana Tigrina	Common
	मेंढक	Frog	Rana Limnocharis	Common
	मेकचूर	Frog	Rana Crassa	Common
	मेंढक	Skipper Frog	Rana Cyanophlyctis	Common
	मेंढक	Indian Burrowing Frog	Tompterna Breviceps	Common
जेकोफोरोइडी Rhacophoridae	मेंढक	Chunam Frog	Rhacophorus Maculates	Common
माइक्रोहाइलिडी Microhylidae	मेंढक	Narrow Mouthed Frog	Microhyla ornate	Common
		Funny Frog	Uperodon Systema	Common

परिशिष्ट-15

जय प्रकाश नारायण (सुरताहाल) पक्षी विहार, बलिया के ग्रामवार आर्थिक-शैक्षणिक आँकड़े

क्र० सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	कृषि भूमि है०	सामुदायिक भूमि है०	कृषि कार्य आधारित परिवारों की संख्या	अन्य व्यवसाय आधारित परिवारों की संख्या					गरीबी रेखा से नीचे की०पी० एल० परिवारों की संख्या	शैक्षणिक स्तर					बेरोजगारों की संख्या	मवेशियों की संख्या			
							नौकरी	दुग्ध उत्पादन	मत्स्य पालन	कुक्कुट पालन	अन्य		अशिक्षित	प्राथमिक	हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक / स्नातकोत्तर		गाय	बैस	भेड़ बकरी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	शिवपुर	474	3546	234	21	261	70	29	68	3	41	221	1952	632	460	404	98	172	102	90	123	205
2	सूर्यपुरा	401	285	91	11	156	56	37	87	2	63	173	1495	630	496	176	49	91	80	102	117	84
3	अख्तियारपुर	71	538	88	9	28	6	29	2	0	5	25	429	87	11	8	2	7	22	20	32	10
4	कैथवली	386	2444	112	515	112	49	118	67	2	38	146	1226	531	329	240	118	71	88	85	127	46
5	सिंधौली	15	81	55	3	0	2	8	0	0	4	5	48	25	5	2	0	3	6	5	23	18
6	माधोपुर	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जजियापुर	17	60	16	2	0	0	7	0	0	9	2	39	15	4	2	0	1	6	7	14	0
8	गड़ारीपाह	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ढेलिया	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बिन्दवलिया	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मैरिटार	1267	8911	320	20	436	213	273	221	4	121	460	4417	1897	1365	748	484	208	312	284	260	103
12	औझवलिया	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	फाफर	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सिरमौर	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	अनकटपुर	8	68	6	1	0	1	5	0	0	2	3	37	15	11	6	0	2	3	3	7	0
16	राजपुर	793	5390	73	6	176	5	347	89	1	106	372	2657	1590	633	434	77	66	210	180	160	132
17	औंधी	8	47	30	2	0	0	3	1	2	4	151	25	16	4	2	0	0	3	3	8	28
18	बड़सरी	297	2384	249	17	168	28	65	0	0	34	60	1229	630	326	142	58	37	45	61	63	0
19	नरायनपुर	126	855	34	2	29	6	16	3	0	71	0	504	168	128	53	2	5	20	16	18	0
20	हथिवटा	6	41	16	1	4	0	2	0	0	0	0	21	9	5	4	1	1	4	6	0	0
21	गजियापुर	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र० सं०	गाम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	कृषि भूमि है०	सामुदायिक भूमि है०	कृषि कार्य आधारित परिवारों की संख्या	अन्य व्यवसाय आधारित परिवारों की संख्या					गरीबी रेखा से नीचे दी०पी० एल० परिवारों की संख्या	शैक्षणिक स्तर					बेरोजगारों की संख्या	मवेशियों की संख्या			
							नौकरी	दुग्ध उत्पादन	मत्स्य पालन	कुक्कुट पालन	अन्य		अशिक्षित	प्राथमिक	हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक / स्नात्कोत्तर		गाय	बैस	भेड़ बकरी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	कोलडुमरिया	0	0	79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	कोलखुर्द	12	72	46	0	0	0	2	0	0	9	9	42	27	3	0	0	0	3	3	15	11
24	साहोडीह	261	1850	79	5	147	24	27	0	0	63	162	929	431	305	172	14	19	35	25	82	16
25	परसपुर	93	776	67	8	19	12	18	9	2	34	41	390	252	69	63	2	18	20	27	28	0
26	मेंदपुर	35	257	47	5	8	0	0	0	0	26	22	194	36	13	12	3	9	6	7	0	0
27	भीखपुर	100	806	78	9	68	11	8	7	3	2	56	420	308	39	33	7	13	23	41	37	0
28	वादेवपुर	81	555	29	7	25	9	7	0	0	39	23	352	125	46	23	9	15	22	44	12	0
29	श्रीपुर	174	1469	58	10	55	14	5	18	4	79	58	717	443	186	107	16	34	47	38	95	0
30	बसन्तपुर एहतमाली	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	बसन्तपुर मुस्तकम	1367	10156	792	221	582	50	61	359	23	229	56	5322	3192	1113	515	14	23	62	74	82	0
32	तालसुरहा	0	0	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	आराजी इंग्लिश बसन्तपुर	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	घघरौली	206	1442	43	345	9	18	23	0	3	152	0	1148	211	40	34	9	41	32	42	70	0
35	ववरी	16	96	30	2	14	0	0	0	0	2	0	76	14	4	2	0	6	7	9	14	0
36	भभनौली	108	812	19	3	64	13	15	0	0	17	230	326	298	101	63	24	40	55	48	22	0
37	फुलवरिया	237	1730	40	3	32	18	20	39	3	126	95	1173	349	107	71	30	44	32	52	37	12
38	सोनपुरकला	95	660	69	2	49	5	7	13	5	15	113	329	243	49	34	6	36	38	49	41	0
39	सोनपुरखुर्द	66	398	38	0	23	6	5	9	2	20	0	235	104	36	20	3	33	17	28	18	0
40	डुमरी	616	4362	97	5	201	38	63	95	84	137	311	2707	873	532	232	18	103	187	59	92	160
41	सरयाँ	229	1733	8	1	54	39	12	63	4	58	273	971	555	140	44	22	38	40	53	43	0
42	सलेमपुर	203	1510	59	1	66	22	9	13	8	84	90	711	607	128	46	18	35	46	63	77	0

परिशिष्ट-16
उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र
राष्ट्रीय उद्यान

क्र० सं०	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
1	दुधवा राष्ट्रीय उपवन	खीरी	490.00
वन्य जीव विहार			
1	चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार	वाराणसी	78.00
2	किशनपुर वन्य जीव विहार	खीरी	227.00
3	कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार	बहराइच	400.00
4	रानीपुर वन्य जीव विहार	चित्रकूट	230.00
5	महावीर स्वामी वन्य जीव विहार	ललितपुर	5.00
6	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार	आगरा, इटावा	635.00
7	कैमूर वन्य जीव विहार	मिर्जापुर, सोनभद्र	501.00
8	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार	मेरठ, ज्योतिबाफूले नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद	2073.00
9	सोहागी बरवा वन्य जीव विहार	महाराजगंज	428.00
10	सोहेलवा वन्य जीव विहार	श्रावस्ती बलरामपुर	452.00
11	कछुआ वन्य जीव विहार	वाराणसी	7.00
योग –			5036.00

नोट : कछुआ वन्य जीव विहार डिनोटिफाइड होकर गंगा नदी के किमी० संख्या-940 से 970 के मध्य प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग में स्थानान्तरित हो गया है।

पक्षी विहार			
1	नवाबगंज पक्षी विहार	उन्नाव	2.00
2	समसपुर पक्षी विहार	रायबरेली	8.00
3	लाख बहोशी पक्षी विहार	कन्नौज	80.00
4	सांडी पक्षी बिहार	हरदोई	3.00
5	बखीरा पक्षी विहार	सन्त कबीर नगर	29.00
6	ओखला पक्षी बिहार	गाजियाबाद	4.00
7	समान पक्षी विहार	मैनपुरी	5.00
8	पार्वती अरगा पक्षी विहार	गोंडा	11.00
9	विजयसागर पक्षी विहार	हमीरपुर	3.00
10	पटना पक्षी विहार	एटा	1.00
11	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार	बलिया	34.00
12	सूरसरोवर पक्षी विहार	आगरा	4.00
योग –			184.00

परिशिष्ट-17

उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय -विकास हेतु
शासकीय संकल्प की रूप रेखा
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यू0ओ0-84/14-प0भू0-99-63/97
वन अनुभाग-4, दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा जारी

प्रस्तावना :

राज्य में वन्य जीव एवं जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से कई संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उप वन वन्य जीव विहार और बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये गये हैं।

अब संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी की और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की नीति अपनायी जाये।

अधोलिखित संकल्प के अनुसार पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम लिए जायेंगे।

2. परिभाषाएं :

इस संकल्प में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा न अपेक्षित हो:

- (1) अधिनियम-का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम-1927 से है।
- (2) वार्षिक क्रियान्वयन योजना का अर्थ अनुमोदित माइक्रोप्लान के आधार पर प्रतिवर्ष क्रियान्वित होने वाले क्रिया कलापों से है।
- (3) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति और पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति से है।
- (4) 'मुख्य वन्य जीव संरक्षक' का अर्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति से है।
- (5) 'कार्यकारी समिति' का तात्पर्य सात सदस्यीय समिति जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं, से है जो इस संकल्प के अधीन गठित ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रशासनिक और प्रबन्ध सम्बन्धी दायित्वों को निर्वहन करेगी।
- (6) 'वन रक्षक' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई बीट के प्रभारी व्यक्ति से है।
- (7) 'वन अधिकारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने भारतीय वन अधिनियम-1927 के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य को क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया हो।
- (8) 'वन दरोगा' का तात्पर्य उस श्रेणी के व्यक्ति से है जो सम्बद्ध अधिकारी के रूप में था जो वन रेंज के अन्तर्गत सेक्शन के पर्यवेक्षण कार्यों को करता है।

- (9) 'शासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
- (10) 'राज्यपाल' का तात्पर्य राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से है।
- (11) 'ग्राम सभा', ग्राम पंचायत, 'प्रधान', 'उप प्रधान' और 'ग्राम' के अर्थ वहीं होंगे जो उनके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम-1947 में क्रमशः दिये गये हैं।
- (12) 'परिवार' का अर्थ एक इकाई के रूप में घर में रह रहे अधिवासियों से है।
- (13) 'सदस्य ग्राम' पारिस्थितिकी विकास समिति' का तात्पर्य ग्राम में पारिस्थितिकी विकास में भागीदारी हेतु इच्छुक परिवारों द्वारा नामित व्यक्ति से है, जो ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में प्रतिनिधित्व करेगा।
- (14) 'माइक्रोप्लान' का अर्थ ग्राम स्तर पर प्रबन्धन हेतु पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों की योजना से है।
- (15) 'संरक्षित क्षेत्र' का अर्थ राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव संरक्षक द्वारा नामित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी वन अधिकारी से है।
- (16) 'परियोजना' का अर्थ उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना से है।
- (17) 'परियोजना इकाई' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की परियोजना इकाई से है।
- (18) 'नियम पारूप/प्रपत्र' का अर्थ संकल्प के साथ संलग्न नियम पारूप/प्रपत्र से है।
- (19) 'रेंज अधिकारी' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई के प्रभारी अधिकारी से है।
- (20) 'प्रेरक दल' का तात्पर्य समुचित तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों के उस दल से है, जो ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों को करने में सहायता प्रदान करेगा।
- (21) 'ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति' का तात्पर्य ग्राम स्तरीय समिति जिसका गठन इस संकल्प में निहित प्राविधानों के अनुसार, सम्बन्धित ग्राम पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु हुआ है।
- (22) 'वन्य जीव अधिनियम' का तात्पर्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 और इसके संशोधन तथा उत्तर प्रदेश में इसके प्रवृत्ति के सन्दर्भ में बने नियमों से है।
- (23) 'वर्ष' का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- (24) 'कार्यकारी इकाई' का अर्थ उस क्षेत्रीय भाग से है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण हेतु घोषणा की गयी है।
- (25) 'वन रेंज' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से की गयी हो या निहित प्राधिकारी द्वारा की गयी है।

- (26) 'स्वयं सेवी संस्था' का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सरकार के सुसंगत अधिनियम-के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत हों।

3. उद्देश्य :

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य होंगे—

1. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प उपलब्ध कराते हुए इस प्रकार हस्तक्षेप (मध्यस्थता) करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।
2. जैव-विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. वन्य जन्तुओं द्वारा मानव जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को कम करना।
4. संरक्षित क्षेत्र एवं मानव के आपसी संघर्ष को कम करना।
5. संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।
6. संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्ध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।

परिशिष्ट – 18
प्रबन्ध योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पद
1.	सर्व श्री दिनेश सिंह	सहायक वन संरक्षक
2.	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय	क्षेत्रीय वन अधिकारी
3.	श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	वन दरोगा
4.	श्री निशिकान्त सोनकर	वन रक्षक

**जय प्रकाश
नारायण
(सुरहाताल)
पक्षी विहार
बलिया का
मानचित्र**

SOI Topo Sheet Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589\" N	84° 10' 4.598\" E	S7	25° 48' 57.066\" N	84° 10' 33.107\" E	E12	25° 52' 10.8\" N	84° 8' 49.66\" E	E17	25° 48' 18.7\" N	84° 11' 22.596\" E
S2	25° 51' 40.396\" N	84° 11' 28.327\" E	S8	25° 48' 46.350\" N	84° 9' 24.942\" E	E13	25° 52' 26.4\" N	84° 10' 52.8\" E	E18	25° 48' 30.2\" N	84° 9' 58.533\" E
S3	25° 50' 49.047\" N	84° 12' 23.646\" E	S9	25° 48' 33.002\" N	84° 8' 33.181\" E	E14	25° 51' 35.9\" N	84° 12' 29.1\" E	E19	25° 48' 12.0\" N	84° 9' 6.579\" E
S4	25° 50' 2.175\" N	84° 12' 49.223\" E	S10	25° 49' 51.016\" N	84° 8' 18.892\" E	E15	25° 50' 32.2\" N	84° 13' 24.9\" E	E20	25° 49' 12.5\" N	84° 7' 55.474\" E
S5	25° 49' 58.023\" N	84° 12' 5.460\" E	S11	25° 51' 6.926\" N	84° 8' 37.232\" E	E16	25° 49' 14.2\" N	84° 12' 46.3\" E	E21	25° 50' 45.9\" N	84° 7' 48.859\" E
S6	25° 49' 2.094\" N	84° 12' 8.891\" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920\" N	84° 12' 18.720\" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260\" N	84° 11' 57.419\" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300\" N	84° 11' 9.539\" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879\" N	84° 12' 16.560\" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581\" N	84° 11' 11.519\" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199\" N	84° 8' 21.300\" E
c	Badari	25° 50' 23.399\" N	84° 12' 59.879\" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601\" N	84° 10' 5.639\" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019\" N	84° 10' 44.040\" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339\" N	84° 7' 55.859\" E	n	Maritar	25° 51' 34.740\" N	84° 11' 48.300\" E	x	Sripur	25° 48' 32.699\" N	84° 9' 41.821\" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760\" N	84° 9' 58.079\" E	o	Naryanpur	25° 50' 11.101\" N	84° 12' 59.220\" E	y	Suryapura	25° 51' 48.060\" N	84° 9' 7.441\" E
f	Delhuua	25° 52' 13.080\" N	84° 9' 21.899\" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400\" N	84° 8' 48.721\" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060\" N	84° 9' 45.659\" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040\" N	84° 9' 51.239\" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100\" N	84° 10' 8.760\" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996\" N	84° 8' 21.253\" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479\" N	84° 10' 30.241\" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880\" N	84° 12' 31.140\" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666\" N	84° 8' 23.485\" E
i	Dumari	25° 48' 27.061\" N	84° 11' 47.101\" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259\" N	84° 12' 53.039\" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182\" N	84° 10' 11.116\" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801\" N	84° 12' 27.180\" E	t	Salempur	25° 48' 42.001\" N	84° 10' 14.340\" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924\" N	84° 13' 18.574\" E